Whether the action of the management of the Bank of Rajasthan Ltd. in imposing the punishment of withholding of one annual grade increment without postponing future increments on S/Shri P. K. Sharma, Special Asstt. and D. P. Goyal, Casnier-cum-Godown, Keeper, Johri Bazar, Jaipur Branch of the Bank? If not, to what relief are the said workmen entitled?'

2. After the case was registered, a notice was sent to the respective parties and a statement of claim was filed on behalf of the workmen. The next date for filing of reply was fixed at Jaipur on the request of the parties and instead of filing the reply on 18-10-1977, the parties representatives came forward with the following statement:

'The parties have compromised vide Ex. C/1. There no longer exists any dispute between the parties. A no dispute award may be made in this case.'

3. In view of the settlement and in view of the statements recorded above, a no dispute award is passed in the instant case. Parties are left to bear their own costs. Requisite copies of the award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action.

Dated : 19th October, 1977.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

In the matter of reference under section 10 of the Industrial dispute Act, 1947 (XIV of 1947).

Reference No. L. 12011/14/77 D. II A case No. 44 of 1977

Shri R. K. Sharma,

Shri D. P. Goyal,

Represented by Rajasthan Bank Employees' Union—workmen.

V/s

The General Manager,

The Bank of Rajasthan Ltd., Jaipur. Employer.

Whereas an Industrial Dispute between the parties abovenamed was referred to your Hon'ble court for adjudication, under section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947, and

Whereas the dispute has since been settled amicably between both the parties abovenamed in the matter of said Industrial dispute through the All India Bank of Rajasthan Employees' Federation, the parties beg to request that a no dispute award may be passed in the matter.

Jaipur.

Dated : 12-10-1977.

Sd/- R. K. Sharma Workman.

Sd/- D. P. Goyal Workman.

Sd/-
T. C. Jain.
Manager (Personnel)
on behalf of the Employer
(The Bank of Rajasthan Ltd.) Jaipur.

Sd/-
R. K. Garg
Asstt. General Secretary,
on behalf of the workmen
(Rajasthan Bank Employees Union).

Dated : October 12, 1977.

Copy forwarded for information to:—

1. Assistant Labour Commissioner (C) Civil Lines, Ajmer.
2. Regional Labour Commissioner (C) Civil Lines, Ajmer.
3. Chief Labour Commissioner (C) Sharmshakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
4. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.

Sd/-
T. C. Jain.
Manager (Personnel)
(The Bank of Rajasthan Ltd.) Jaipur.

Sd/-
R. K. Garg,
Asstt. General Secretary,
Rajasthan Bank Employees' Union.

Sd/-
O. P. Vyas.
Officer (Law)
The Bank of Rajasthan Ltd.

Sd/-
R. L. Khandelwal,
President,
Rajasthan Bank Employees Union.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer
[No. L-12011/14/77-D. II. A.]
JAGDISH PRASAD, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

का०आ० 42.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

भाग I—साधारण

क. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

ख. परिभाषाएं—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'परिषद्' से निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है

(ख) परिषद् के कर्मचारी के संबंध में 'नियुक्त प्राधिकारी' से अभिप्रेत है :

(i) वह प्राधिकारी जो उस पद पर नियुक्ति के लिए सशक्त किया गया है जो पद परिषद् का कर्मचारी तत्समय धारण करता है; या

(ii) वह प्राधिकारी जिसने परिषद् के कर्मचारी को ऐसी श्रेणी या पद पर नियुक्त किया है : जैसा भी मामला हो, जो भी प्राधिकारी उच्चतम प्राधिकारी है।

(ग) 'परिषद् के कर्मचारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) परिषद का कर्मचारी है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो पर सेवा में है या जिसकी सेवाएं

अस्थायी रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को सौंप दी गई है :

(ii) कोई कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी की सेवा में है, और जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से परिषद् को सौंप दी गई हैं :

(घ) 'समूह' से नियम 5 में विनिर्दिष्ट कोई भी समूह अभिप्रेत है :

(ङ) 'विभाग के प्रधान अधिकारी' से नियुक्ति, अनुशासनिक अपीली या पुनर्विलोकन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण का निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) 'कार्यालय का प्रधान' से वह प्राधिकारी जो नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीली, या पुनर्विलोकन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा घोषित कार्यलय का प्रधान होने के लिए अभिप्रेत है ;

(छ) 'अध्यक्ष' से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ज) 'निदेशक' से निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रट का निदेशक तथा परिषद् का पदेन सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

(झ) 'अपर निदेशक' से परिषद् का अपर निदेशक अभिप्रेत है ;

(ञ) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' परिषद् के कर्मचारी पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ट) इन नियमों में प्रयोग किए गए किन्तु परिभाषित नहीं किए गए और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 में परिभाषित किए गए शब्दों तथा पदों का वही अर्थ है जो उन नियमों में क्रमशः उनका है।

ग. लागू होना

3. नियम 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ये नियम परिषद् के प्रत्येक कर्मचारी को लागू होंगे ।

घ. निर्वचन

4. इन नियमों में से किसी के अर्थ की बाबत यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी ।

भाग-II—वर्गीकरण

5. इन नियमों के प्रयोजनार्थ परिषद् के कर्मचारियों को निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात :

समूह क : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 1300 रु० से कम नहीं है

समूह ख : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 900 रु० से कम नहीं है, किन्तु 1300 रु० से कम है।

समूह ग : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 290 रु० से अधिक किन्तु 900 रु० से कम है।

समूह घ : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 290 रु० या उससे कम है।

भाग III—निलम्बन

6. (1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई भी प्राधिकारी जो अनुशासनिक प्राधिकारी के अधीनस्थ है या निमित्त अध्यक्ष या निदेशक के विशिष्ट या साधारण आदेश से इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी परिषद् के कर्मचारी को निम्नलिखित दशाओं में निलम्बित कर सकता है --

(क) उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों अनुध्यात हों या लम्बित हों, या

(ख) उपर्युक्त प्राधिकारी की राय में वह ऐसी कार्यवाहियों में लगा है जो राज्य की प्रतिरक्षा के प्रतिकरण है।

(ग) उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक अपराध की बाबत मामला अन्वेषण जांच या विचारण के अधीन हो।

(2) परिषद का कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बनाधीन समझा जाएगा,

(क) उसके निरोध की तारीख से निलम्बनाधीन समझा जाएगा, यदि वह आपराधिक आरोप के कारण या अन्यथा अड़तालीस घंटों की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रखा गया है।

(ख) उसकी दोष सिद्धि की तारीख से निलम्बनाधीन समझा जाएगा यदि अपराध की दोष सिद्धि की दशा में उसे अड़तालीस घंटों से अधिक की कारावास की अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया है और इस दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल ही पदच्युत नहीं किया जाता है या हटाया नहीं जाता या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त नहीं किया जाता ।

स्पष्टीकरण :--खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि दोषसिद्धि के पश्चात कारावास के प्रारम्भ से गणना में ली जाएगी और यदि कारावास की कोई अन्तरायिक कालावधि हो तो वे इस प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी ।

(3) जहां परिषद् के निलम्बनाधीन कर्मचारी पर सेवा से पदच्युति, हटाए जाने, या अनिवार्य निवृत्ति की अधिरोपित शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाती है और मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित किया जाए वहां उसके निलम्बन का आदेश, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख को और उससे प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगा ।

(4) जहां परिषद् के कर्मचारी पर सेवा पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अधिरोपित किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त कर दी गई है या शून्य घोषित कर दी गई है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करके यह विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों पर जिन पर मूलतः पदच्युति हटाए जाने, या अनिवार्यतः निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी अतिरिक्त जांच की जाए वहां यह समझा जाएगा कि परिषद् का कर्मचारी पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बनाधीन कर दिया गया है और आदेश होने तक निलम्बनाधीन रहेगा ।

(5)(क) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा उपान्तरित या प्रतिसंहृत नहीं कर कर दिया जाता है, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है।

(ख) जहां कि परिषद् का कर्मचारी (चाहे किसी अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित किया जाता है और उस निलम्बन के चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ की जाती है वहां

वह प्राधिकारी जो उसे निलम्बनाधीन, करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएं, यह निदेश दे सकता है कि परिषद् का कर्मचारी ऐसी सभी कार्रवाहियों या उनमें से किसी के पर्यवसान तक निलम्बनाधीन बना रहेगा।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया है या जिसकी बाबत यह समझा जाता है कि उसने आदेश किया है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है, किसी भी समय उपान्तरित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

भाग IV—आचरण

7. परिषद् का कर्मचारी भारत सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 द्वारा शासित होगा।

भाग V—शास्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी

8. परिषद् के कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित सही और पर्याप्त कारणों से, अधिरोपित की जा सकती है, अर्थात् :—

(i) परिनिन्दा (सेंसर) :

(ii) प्रोन्नति रोकाना :

(iii) कर्मचारी द्वारा उपेक्षा से या आदेशों के भंग से परिषद् को पहुंचाई गई धन संबंधी क्षति की सम्पूर्ण या भागतः उसके वेतन से वसूली :

(iv) वेतन-वृद्धियों का रोका जाना :

(v) काल वेतनमान में किसी निम्नतर क्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि ऐसी अवनति की कालावधि के दौरान परिषद् का कर्मचारी वेतन-वृद्धियां उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर उस अवनति का प्रभाव उसके वेतन की भावी वेतन-वृद्धियों को मुलतवी करने का होगा या नहीं।

(vi) निम्नतर काल वेतन मान श्रेणी पद या सेवा में अवनति जो मामूली तौर पर परिषद् के कर्मचारी की उस काल वेतन-मान, श्रेणी, पद, या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, प्रोन्नति के लिए वर्जनकारी होगी। अवनति का आदेश उस श्रेणी या पद या सेवा में, जिससे परिषद् का कर्मचारी अवनत किया गया था, पुनः रखे जाने की शर्तों की बाबत और उस श्रेणी पद, या सेवा में पुनः रखे जाने पर उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत अतिरिक्त निदेशों सहित या उनके बिना होगा।

(vii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति

(viii) सेवा से हटाया जाना, जो परिषद् के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी, तथा

(ix) सेवा से पदच्युति जो परिषद् के अधीन भावी नियोजन के लिए मामूली तौर से निरर्हता होगी।

स्पष्टीकरण : निम्नलिखित इस नियम के अर्थ के अंतर्गत शास्ति नहीं समझे जाएंगे :—

(i) परिषद् के कर्मचारी की वेतन-वृद्धियों का, उन नियमों और आदेशों के अनुसार जो उस पद को जिसे वह धारण किए हुए है, या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों को शासित करते हैं कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण रोका जाना।

(ii) दक्षता परिषद् के कर्मचारी को काल वेतनमान में दक्षता रोध पर इस आधार पर रोक लेना कि वह दक्षता रोध से आगे जाने के लिए अयोग्य है।

(iii) परिषद् के कर्मचारी की, उस सेवा श्रेणी या पद पर जिस पर प्रोन्नति के लिए वह पात्र है, उसके मामले पर विचार करके चाहे अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न हैसियत में प्रोन्नति न करना।

(iv) परिषद् के ऐसे कर्मचारी का, जो उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न हैसियत में कार्यकर रहा निम्नतर सेवा श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि उच्चतर सेवा श्रेणी या पद के लिए वह यथोचित नहीं समझा जाता है, या ऐसे प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से सम्बद्ध नहीं है, प्रतिवर्तन।

(v) परिषद् के ऐसे कर्मचारी का, जो किसी अन्य सेवा श्रेणी या पद में परिवीक्षा पर नियुक्ति किया गया हो, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में स्थायी सेवा श्रेणी या पद पर उसकी नियुक्ति निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों में और आदेशों के अनुसार प्रतिवर्तन।

(vi) परिषद् के कर्मचारी की अधिवार्षिकी या सेवा-निवृत्ति से संबंधित उपबंध के अनुसार अनिवार्य सेवा-निवृत्ति ;

(vii) (क) परिषद् के ऐसे कर्मचारी, की जो परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसे परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में; या

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् सेवा नियमों के नियम 16 के अनुसार परिषद् के अस्थायी कर्मचारी की, या

(ग) ऐसे करार के अधीन परिषद् के कर्मचारी की, ऐसे करार की शर्तों के अनुसार सेवा की समाप्ति।

(viii) परिषद् के कर्मचारी की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को जिससे परिषद् के ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उधार ली गई हों, प्रतिस्थापन।

टिप्पणी : नियम 9 में वर्णित परिषद् या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी नियम 8 के अर्थ में परिषद् के कर्मचारी पर, उसके नियोजन से पूर्व किए गए अवचार की बाबत यदि अवचार इस प्रकार का था जिसका परिषद् में उसके वर्तमान नियोजन से तर्कसंगत संबंध है तथा वह उसे सेवा में बने रहने के अयोग्य और अनुपयुक्त बना देता है, शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

अनुशासनिक प्राधिकारी

9. (1) अध्यक्ष, द्वारा या उसके अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी जिसे ऐसी नियुक्तियां करने के लिए सशक्त है, उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी अधिरोपित कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी परिषद् के कर्मचारी पर से उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

10. (1) अध्यक्ष या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश से सशक्त प्राधिकारी—

(क) परिषद् के किसी कर्मचारी के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा।

(ख) आनुशासनिक प्राधिकारी परिषद् के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, जिस पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए वह सक्षम है, आनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए निदेश दे सकता है।

(2) नियम 8 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी अधिरोपित करने के लिए सक्षम आनुशासनिक प्राधिकारी नियम 8 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिए सक्षम न होते हुए भी व्यक्तियों को परिषद् के कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी शास्तियां व्यक्तियों को अधिरोपित करने के लिए आनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है।

भाग VI—शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया

11. (1) नियम 8 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने का कोई भी आदेश यथा संभव वह इस नियम में दी गई रीति और इसमें इसके पश्चात् दी गई रीति से की गई जांच के बिना नहीं दिया जाएगा।

(2) जब कभी भी आनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि परिषद् के कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार या कदाचार के लांछन की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है तब वह उसकी सत्यता की स्वयं जांच कर सकेगा या ऐसा करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—जहां आनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहां उप-नियम (7) से उप-नियम (20) तथा उप-नियम (22) में जांच प्राधिकारी के लिए, किसी भी निर्देश का अर्थ वह लगाया जाएगा कि वह आनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

(3) जहां इस नियम के अधीन तथा इसमें इसके पश्चात् दी गई रीति से परिषद् के कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच करने की प्रस्थापना है वहां आनुशासनिक प्राधिकारी—

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को निश्चित और सुभिन्न आरोप के अनुच्छेद;

(ii) आरोप के हर एक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण, जिसमें—

(क) सब सुसंगत तथ्यों का, जिनके अन्तर्गत परिषद् के कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति भी आती है, कथन, और

(ख) उक्त दस्तावेजों की एक सूची जिनके द्वारा साक्ष्यों को एक सूची द्वारा अभियोग आरोप के अनुच्छेदों का समर्थन करना प्रस्थापित है अन्तर्विष्ट होंगे

(4) विरचित करेगा या कराएगा, आनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेद अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति और उन दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची, जिनके द्वारा आरोपों के हर एक अनुच्छेद को समर्थित करना प्रस्थापित है, परिषद् के कर्मचारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा और परिषद् के कर्मचारी, से यह अपेक्षा करेगा कि वह, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन निवेदित करे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से सुना जाए।

(5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर, आनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों की जो स्वीकार नहीं किए गए हैं, जांच स्वयं कर सकता है, या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो उप-नियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी को नियुक्त कर सकता है, और जहां परिषद् के कर्मचारी ने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए हैं वहां आनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे हर एक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा तथा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से कार्य करेगा।

(ख) यदि प्रतिरक्षा को कोई लिखित कथन परिषद् के के कर्मचारी द्वारा निवेदित नहीं किया जाता है तो आनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेद की जांच स्वयं कर सकता है, यह यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह उप-नियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(ग) जहां आनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेद की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए कोई जांच प्राधिकारी की नियुक्ति करता है वहां वह, परिषद् के कर्मचारी को या परिषद् के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारी को या किसी विधि व्यवसायी को, आदेश द्वारा नियुक्त कर सकता है जो आरोप के अनुच्छेदों की समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थित करने के "उपस्थापक आफिसर" के नाम से ज्ञात होगा।

(6) आनुशासनिक प्राधिकारी, वहां जहां वह जांच प्राधिकारी न हो जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा।

(1) आरोप के अनुच्छेदों और अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन की एक प्रति:

(2) परिषद् के कर्मचारी ने प्रतिरक्षा का यदि कोई लिखित कथन, निवेदित किया है, तो उसकी एक प्रति:

(3) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों के कथनों की, यदि कोई हो, एक प्रति:

(4) परिषद् के कर्मचारी को उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के परिवान को साबित करने वाला साक्ष्य: और

(5) 'उपस्थापन आफिसर' को नियुक्त करने के आदेश की एक प्रति।

(7) परिषद् का कर्मचारी जांच प्राधिकारी के सामने उसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों की और अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य-दिवसों के भीतर, उस दिन और उस समय, पर जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या दस दिनों से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, स्वयं हाजिर होगा।

(8) परिषद् का कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी या परिषद् के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि-व्यवसायी को तब तक नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापन आफिसर विधि-व्यवसायी नहीं अथवा आनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी आनुज्ञा न दे ।

(9) यदि परिषद् का वह कर्मचारी, जिसने आरोप के अनुच्छेदों में से किसी को प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में स्वीकार नहीं किसी है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन निवेदित नहीं किया है जांच प्राधिकारी के सामने हाजिर होता है तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेदों में से किसी का दोषी होने का अभिवचन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिवाक को, अभिलिखित करेगा और अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और परिषद् के कर्मचारी के हस्ताक्षर उस पर अभिप्राप्त करेगा।

(10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के बारे में, जिनके दोषी होने का अभिवचन करता है दोषी होने के निष्कर्ष देगा।

(11) जांच प्राधिकारी यदि परिषद् का कर्मचारी, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिवचन करने से इन्कार करता है या अभिवचन नहीं करता है तो उपस्थापक आफिसर से यह अपेक्षा करेगा कि वह उन साक्ष्यों को पेश करे जिनसे वह आरोप के अनुच्छेद के साबित करने की प्रस्थापना करता है और मामले को यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिनों से अनधिक पश्चातवर्ती तारीख के लिए स्थगित करेगा कि परिषद् का कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए --

(i) आदेश के पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके ;

(ii) उन साक्ष्यों की, जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जानी है, एक सूची दे सके।

टिप्पणी : यदि परिषद् का कर्मचारी उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में वर्णित साक्ष्यों के कथनों की प्रतियों के प्रदाय के लिए मौखिक या लिखित में आवेदन करता है तो जांच प्राधिकारी ऐसी प्रतियां यथा सम्भव शीघ्र और किसी भी दशा में आनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्ष्यों की परीक्षा के प्रारम्भ से पूर्व तीन दिन के अनुपरान्त उसे देगा ।

(iii) आदेश के दस दिन के भीतर, या दस दिन से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जितना कि जांच अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसे किन्हीं दस्तावेजों को, जो परिषद् के कब्जे में है किन्तु जो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नहीं है, प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना दे सके;

टिप्पणी : परिषद् का कर्मचारी उन दस्तावेजों की सुसंगति उपदर्शित करेगा जिनके परिषद् द्वारा प्रकटीकरण या पेश किए जाने के लिए उसने अपेक्षा की है ।

(12) जांच प्राधिकारी दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने लिए सूचना की प्राप्ति पर वह सूचना या उसकी प्रतियां, दस्तावेजों के उस तारीख तक पेश करने की अपेक्षा के साथ जो कि ऐसी अपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए उस प्राधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेजी रखे गए हैं, अग्रेषित करेगा ;

परन्तु जांच अधिकारी, ऐसे दस्तावेजों की जो उसकी राय में मामले से सुसंगत नहीं है, लेख बद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपेक्षा करने से इंकार कर सकता है।

(13) उप-नियम (12) में निर्दिष्ट अपेक्षा की प्राप्ति पर हर प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अपेक्षित दस्तावेज है : उन्हें जांच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा :

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज है, ऐसे कारणों से उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो गया है कि ऐसे सभी दस्तावेजों का या उनमें से किसी का पेश किया जाना लोक हित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार इत्तिला देगा और ऐसी इत्तिला मिलने पर जांच प्राधिकारी वह इत्तिला परिषद् के कर्मचारी को संसूचित करेगा और उस अपेक्षा को, जो दस्तावेजों के पेश करने या प्रकटीकरण के लिए की है, तथा ऐसी दस्तावेजों की प्रत्याहृत कर लेगा।

(14) उस तारीख को जो जांच के लिए नियत है वह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जिसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का साबित किया जाना प्रस्थापित है, आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पेश किया जाएगा। साक्षियों की परीक्षा उपस्थापक आफिसर द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी और उसकी प्रतिपरीक्षा परिषद् के कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी। उपस्थापक आफिसर साक्षियों की पुनः परीक्षा उन किन्हीं बातों पर करने का हकदार होगा, जिन पर उसकी प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी नई बात पर नहीं ।

जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

(15) यदि आनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बन्द किए जाने के पूर्व आवश्यक प्रतीत हो, तो जांच प्राधिकारी उपस्थापक आफ़िसर को ऐसा साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा विवेकानुसार, दे सकता है, जो परिषद् के कर्मचारी को दी गई सूची के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, या नया साक्ष्य स्वयं तलब कर सकता है या किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है और उसकी परीक्षा पुनः कर सकता है और ऐसी दशा में सरकारी सेवक ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की जिसके पेश करने की प्रस्थापना हो, एक प्रति, यदि वह उसकी मांग करे तो, पाने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व तीन पूरे दिनों के लिए जांच के स्थगन का, जिनमें से स्थगन का दिन और वह दिन जिसके लिए जांच स्थगित की गई हो अपवर्जित किए जाएंगे, हकदार होगा। जांच प्राधिकारी परिषद् के कर्मचारी को ऐसी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर उन्हें अभिलेख पर लाए जाने से पूर्व देगा । जांच प्राधिकारी परिषद् के कर्मचारी को भी नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकता है यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे साक्ष्य का पेश किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है।

टिप्पणी : साक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के लिए नया साक्ष्य अनुज्ञात या तलब नहीं किया जाएगा और न कोई साक्षी पुनः

बुलाया जाएगा। ऐसा साक्ष्य केवल उस दशा में तलब किया जा सकता है जब उस साक्ष्य में, जो मूलतः पेश किया गया है, कोई अनहित कमी या त्रुटि हो।

(16) जब आनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद कर दिया जाए, तब परिषद् के कर्मचारी से अपेक्षित की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा मौखिक या लिखित जैसे भी वह अच्छा समझे, कथित करे। यदि प्रतिरक्षा मौखिक की जाती है, तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और परिषद् के कर्मचारी से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों में से किसी भी दशा में प्रतिरक्षा के कथन की प्रति उपस्थापक आफ़िसर को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी ।

(17) तब परिषद् के कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा । परिषद् का कर्मचारी यदि वह ऐसा करना अच्छा समझे तो, अपनी ओर स्वयं अपनी परीक्षा कर सकेगा। तब उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी, जो परिषद् के कर्मचारी द्वारा पेश किए जाएं और वे जांच प्राधिकारी उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा उन्हीं उपबन्धों के अनुसार कर सकता है जो आनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों को लागू है।

(18) सरकारी सेवक के अपना मामला बंद कर देने के पश्चात् जांच प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए कि परिषद् को कर्मचारी अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में परिषद् के कर्मचारी के विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न कर सकता है और यदि सरकारी सेवक ने स्वयं अपनी परीक्षा नहीं की है, तो ऐसा अवश्य करेगा।

(19) जांच प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा हो जाने के पश्चात् उपस्थापक आफ़िसर यदि कोई नियुक्त किया गया हो और परिषद के कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि वे ऐसा चाहें उन्हें अपने-अपने मामले के लिखित संक्षेप फ़ाइल करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(20) यदि वह परिषद् का कर्मचारी जिसे आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रति परिदत्त की गई है, तत्प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले प्रतिरक्षा का लिखित कथन निवेदित नहीं करता है या जांच प्राधिकारी के सामने स्वयं हाजिर नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है या अनुपालन करने से इन्कार करता है, तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकता है ।

(21) (क) जहां उस आनुशासनिक प्राधिकारी ने जो नियम 8 खण्ड (i) से लेकर खण्ड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है (किन्तु नियम 8 के खण्ड (v) से लेकर खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है) किसी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं की हो या कराई हो और उस प्राधिकारी के, जिसे उसने नियुक्त किया है, निष्कर्षों में से किसी जांच प्राधिकारी के, जिसे उसने नियुक्त किया हो, निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए राय हो कि नियम 8 के खण्ड (v) से लेकर खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, वहां वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख उस आनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो अन्तिम वर्णित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ख) वह आनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे गए हों अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो उस साक्षी को पुनः बुला सकता है और उस साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है और परिषद के कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जैसा वह इन नियमों के अनुसार ठीक समझे।

(22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें अधिकारिता प्रयोग करने से परिविरत हो जाता है और कोई अन्य जांच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागतः अभिलिखित और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है:

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसे साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किन्हीं भी ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है, उनकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा इससे पूर्व उपबन्धित रीति में कर सकता है ।

(23) (1) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी —

(क) आरोप के अनुच्छेद और अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण;

(ख) आरोप के हर एक अनुच्छेद की बाबत परिषद् के कर्मचारी की प्रतिरक्षा;

(ग) आरोप के हर एक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) आरोप के हर एक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उनके लिए कारण।

स्पष्टीकरण--यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही से आरोप का ऐसा कोई अनुच्छेद स्थापित होता है, जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है;

परन्तु आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कि परिषद् के कर्मचारी ने उन तथ्यों को जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है या तो स्वीकार न कर लिया हो या आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का उसे युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो।

(2) जांच, प्राधिकारी, वहां जहां वह स्वयं ही आनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, आनुशासनिक प्राधिकारी को जांच के अभिलेख अग्रेषित करेगा, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :--

(क) जो उसके द्वारा खण्ड (1) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) परिषद् के कर्मचारी द्वारा निवेदित प्रतिरक्षा का लिखित कथन यदि कोई हो;

(ग) जांच के अनुक्रम में पेश किया गया मौखिक और दस्तेवेजी साक्ष्य;

(घ) उपस्थापक आफिसर या परिषद् के कर्मचारी या दोनों द्वारा जांच के अनुक्रम में फाइल किए गए लिखित संक्षेप यदि कोई हों और;

(क) अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई हो।

12. (1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं ही जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे; मामले की अतिरिक्त जांच के लिए जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकता है और जांच प्राधिकारी तदुपरि या कतिपय नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त जांच करने के लिए अग्रसर होगा।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, तो वह ऐसी असहमति के कारणों को लेखबद्ध करेगा और यदि वह साक्ष्य, जो अभिलेख पर है, उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, तो ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(3) यदि अनुशासनक प्राधिकारी की, आरोप के सभी अनुच्छेदों या उनमें से किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि नियम 8 के खण्ड (i) से लेकर खण्ड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह नियम 13 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश करेगा;

(4) (i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी अनुच्छेदों या उनमें से किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 8 के खण्ड (v) से लेकर खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह—

(क) अपने द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट और आरोप के हर एक अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों की एक प्रति या, जहां जांच उसके द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी द्वारा की गई हो वहां ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से अपनी असहमति के, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारणों के सहित परिषद् के कर्मचारी को देगा :

(ख) परिषद् के कर्मचारी को एक सूचना देगा, जिसमें वह शास्ति कथित होगी, जिसको उस पर अधिरोपित करने की प्रस्थापना हो और जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन या पन्द्रह दिन से अनधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर, जितना अनुज्ञात किया जाए, ऐसा अभिवेदन प्रस्तुत करे जैसा कि वह नियम 11 के अधीन की गई जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति की बाबत करना चाहे ;

(ii) परिषद् के कर्मचारी द्वारा, यदि कोई अभिवेदन दिया गया हो तो उस पर, और आयोग द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि परिषद् के कर्मचारी पर कौन-सी शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए और ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे।

13. (1) नियम 12 के उप-नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि नियम 8 के खण्ड (i) से लेकर खण्ड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित करने का कोई भी आदेश—

(क) परिषद् के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की परस्थापना की, और अवचार या कदाचार के उन लांछनों की जिन पर उस कार्यवाही करने की प्रस्थापना हो, लिखित इत्तिला परिषद् के कर्मचारी को देने और ऐसा अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह उस प्रस्थापना के विरुद्ध देना चाहे, उसे देने;

(ख) नियम 11 के उप-नियम (3) से लेकर (23) तक में अधिकथित रीति में हर ऐसे मामले में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच करना है, जांच करने;

(ग) खण्ड (क) के अधीन परिषद् के कर्मचारी द्वारा निवेदित अभिवेदन पर, यदि कोई हो, और खण्ड (ख) के अधीन की गई जांच यदि कोई हो, के अभिलेख पर विचार करने;

(घ) अवचार या कदाचार के हर एक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तर्गत निम्नलिखित आएंगे—

(i) परिषद् के कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की एक प्रति,

(ii) उसकी परिदत्त अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति,

(iii) उसका अभिवेदन, यदि कोई हो,

(iv) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य,

(v) अवचार या कदाचार के हर एक लांछन पर निष्कर्ष, और

(vi) उस मामले पर कारणों सहित आदेश।

14. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश परिषद् के कर्मचारी को संसूचित किए जाएंगे, जिसको अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की, यदि कोई हो, रिपोर्ट की एक प्रति और आरोप के हर एक अनुच्छेद पर उसके निष्कर्षों की एक प्रति या, जहां अनुशासनिक अधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति, और अनुशासनिक अधिकारी के निष्कर्षों का विवरण और उसके साथ जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से अपनी असहमति के, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारण भी तब के सिवाय जबकि वे उसे पहले ही दे दिए गए हों, दिए जाएंगे ।

15. (1) जहां परिषद् के कर्मचारी दो या अधिक किसी मामले से संबंधित हैं, वहां राष्ट्रपति या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे सभी परिषद् के कर्मचारी पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निर्दिष्ट करने वाला आदेश कर सकता है कि उन सबके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक सामान्य कार्यवाही में की जा सकती है ।

टिप्पण—यदि परिषद् के कर्मचारियों पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न है, तो अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य कार्यवाही करने का आदेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम द्वारा, अन्यों की सम्मति से, दिया जा सकता है ।

(2) ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित का विनिर्देश होगा—

(i) वह प्राधिकारी, जो ऐसी सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा;

(ii) नियम 8 में विनिर्दिष्ट वे शास्तियां जिन्हें अधिरोपित करने के लिए ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा;

(iii) नियम 11 और नियम 12 या नियम 13 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसारण उस कार्यवाही में किया जाएगा या नहीं।

16. नियम 11 के लेकर नियम 15 तक किसी बात के होते हुए भी—

(i) जहां परिषद् के कर्मचारी पर कोई शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई है, जिसके कारण आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्ध हुई है; या

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो गया है कि उक्त नियमों में उपबंधित प्रक्रिया पालन करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे वह ठीक समझे।

17. (1) परिषद् के कर्मचारी की सेवाएं केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को (जिसे इस में इसके पश्चात् उधार लेने वाला प्राधिकारी कहा गया है) उधार दी जाती है, वहां उधार लेने वाले प्राधिकारी को, ऐसे परिषद् के कर्मचारी को निलम्बनाधीन करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की और उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही का संचालन करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां होंगी;

परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकारी उस प्राधिकारी को, जिसने परिषद् के कर्मचारी की सेवाएं उधार दी हों (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उधार देने वाला प्राधिकारी कहा गया है) उन परिस्थितियों की इत्तिला, जिनका परिणाम यथास्थिति ऐसे परिषद् के कर्मचारी के निलम्बन का आदेश या अनुशासनिक कार्यवाही का प्रारंभ हुआ हो, तत्क्षण देगा)।

(2) परिषद् के कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए—

(i) यदि उधार वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि (नियम 8 के खण्ड (i) से लेकर खण्ड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो परिषद् के अनुशासनिक प्राधिकारी से परामर्श करके उस मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे।

परन्तु यह कि परिषद् के उधार लेने वाले और अनुशासनिक प्राधिकारी के बीच मतभेद होने कि दशा में परिषद् के कर्मचारी की सेवाएं पुनः परिषद् के व्ययनाधीन कर दी जाएंगी :

(ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 8 के खण्ड (v) से लेकर खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उसकी सेवाएं परिषद् के पुनः व्ययनाधीन कर देगा और जांच की कार्यवाहियां उसको पारेषित कर देगा और तदुपरि परिषद् का अनुशासनिक प्राधिकारी उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसे वह आवश्यक समझे।

परन्तु कोई ऐसा आदेश पारित करने के पहले अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 12 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण—अनुशासनिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी पारेषित जांच के अभिलेख पर या अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, इस खण्ड के अधीन आदेश कर सकता है।

18. (1) जहां कि परिषद् के कर्मचारी के विरुद्ध जिसकी सेवाएं केन्द्रीय, या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई हों, निलम्बन का आदेश दिया जाता है या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है तो उसकी सेवाओं को उधार देने वाले प्राधिकारी (जिसे इस नियम में उसके पश्चात् उधार देने वाला प्राधिकारी कहा गया है) को तुरन्त ही उन परिस्थितियों की इत्तिला जिनके कारण यथास्थिति उसके निलम्बन का आदेश या अनुशासनिक कार्यवाही का प्रारंभ हुआ है दी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों के प्रकाश में—

(i) यदि परिषद् के अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह नियम 12 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और गुप्तवार्ता ब्यूरों में सेवा करने वाले सहायक केन्द्रीय गुप्तवार्ता आफिसर तक की पंक्ति तक के सरकारी कर्मचारी के सिवाय, उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् उस मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु परिषद् के अनुशासनिक प्राधिकारी तथा उधार देने वाले, प्राधिकारी के बीच मतभेद होने पर ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को व्ययनित कर दी जाएंगी।

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के पुनः व्ययनाधीन कर देगा और जांच की कार्यवाहियों को उसके पास ऐसी कार्रवाई के लिए, जैसी वह आवश्यक समझे, पारेषित करेगा।

भाग-VII—अपील

19. इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी—

(i) परिषद् द्वारा उन पदों के सिवाय जिनके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 2000 रु० से अधिक है और जिसके मामले में अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी अन्य पदों के लिए किया गया आदेश;

(ii) निलम्बन के आदेश से भिन्न अन्तर्वर्ती प्रकृति या सहायक क्रम की प्रकृति या अनुशासनिक कार्रवाई के अन्तिम निपटान का कोई आदेश;

(iii) नियम 11 के अधीन जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश।

20. नियम 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कर्मचारी निम्नलिखित आदेशों में से किसी या सभी विरुद्ध अपील कर सकता है, अर्थात्:—

(i) नियम 6 के अधीन जारी किया गया या जारी किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश।

(ii) नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाला आदेश, जब वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाए।

(iii) नियम 8 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति में वृद्धि करने वाला आदेश।

(iv) कोई आदेश जो—

(क) नियमों या करारों द्वारा यथा विनियमित उसके वेतन; भत्ते या सेवा की अन्य शर्तों से वंचित करता है या उन्हें उसके लिए अहित कर रूप में परिवर्तित कर देता है; या

(ख) किसी ऐसे नियम या करार नामें का उसके लिए अहित कर रूप में निर्वचन करता है;

(v) कोई आदेश जो—

(क) काल वेतन-मान में दक्षत रोक पर उसे इस आधार पर रोक देता है कि वह रोध को पार करने के अयोग्य है;

(ख) उसे जब तब वह उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, निम्नतर सेवा, श्रेणी या पद पर शास्ति से अन्यथा रूप में प्रतिवर्तित करता है;

(ग) निलम्बन की कालावधि के लिए या उस कालावधि के लिए, जिसके दौरान उसे निलम्बनाधीन समझा जाता है या उसके किसी भाग के लिए उसे दिए जाने वाले जीवन-निर्वाह और अन्य भत्ते अवधारित करता है;

(घ) (i) निलम्बन की कालावधि; या

(ii) सेवा से उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति की तारीख से या निम्नतर श्रेणी पद, काल-मान या काल-वेतन मान के क्रम पर उसकी अवनति की तारीख से उसकी श्रेणी या पद पर उसके यथापूर्वकरण या पुनः स्थापन की तारीख तक की कालावधि के लिए उसको वेतन और भत्तों का अवधारित करता है; या

(ङ) यह अवधारित करता है कि उसके निलम्बन की तारीख से या उसकी पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्यतः सेवा-निवृत्ति किए जाने या निम्नतर श्रेणी, पद या काल-मान या काल वेतन मान के निम्नतर क्रम पर अवनत किए जाने की तारीख से उसकी सेवा, श्रेणी या पद पर उसके यथापूर्वकरण या पुनः स्थापन की तारीख तक की कालावधि किसी भी प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई कालावधि के रूप में समझी जाएगी या नहीं।

स्पष्टीकरण:—इस नियम में—

(1) 'परिषद् के कर्मचारी' पद में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो परिषद् की सेवा में नहीं रह गया है।

21. (1) परिषद् का कर्मचारी, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो परिषद् की सेवा में नहीं रह गया है, नियम 20 में विनिर्दिष्ट आदेशों में से किसी या सभी के विरुद्ध अपील, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में की किसी बात के होते हुए भी—

(i) नियम 15 के अधीन की गई सामान्य कार्यवाही के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जा सकेगी जिस का अव्यवहित अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जो उस कार्यवाही के, प्रयोजन के लिए आनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां कि वह व्यक्ति जिसने अपीलित आदेश किया है अपनी पार्श्विक नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा ऐसे आदेश की बाबत प्राधिकारी हो जाता है वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके ऐसा व्यक्ति अव्यवहित अधीनस्थ है;

(3) परिषद् का कर्मचारी, नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को करेगा सिवाए ऐसे पदों के लिए जिनका वेतन या वेतनमान 2000 रु० से अधिक है, जिस मामले में अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी, जहां उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन उसे अपील नहीं होती है, यदि ऐसी शास्ति परिषद् के ऐसे कर्मचारी पर संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य माध्यस्थम् स्कीम में भाग लेने वाले किसी संगम, परिसंघ या संघ पदाधिकारी के रूप में उसके कार्य से संबंध उसके कार्यकलापों की बाबत, अध्यक्ष से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है।

22. इस भाग के अधीन की गई कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से पैंतालीस दिन की कालावधि के अन्दर नहीं की जाती है जिस तारीख को अपीलार्थी को उस आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, परिदत्त की गई है;

परन्तु जब अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि समय के अन्दर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक अपीलार्थी के पास था, तब वह उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है।

23. (1) अपील करने वाला हर व्यक्ति अपील प्रथमतः और अपने स्वयं के नाम से करेगा।

(2) अपील उस प्राधिकारी के सामने उपस्थापित की जाएगी, जिसकी अपील होती है और एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जिसने वह अपीलित आदेश किया था। उसमें वे सभी तात्विक कथन और तर्क अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है। उसमें कोई निरादरपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी और वह स्वतः पूर्ण होगी।

(3) वह प्राधिकारी जिसने वह अपीलित आदेश किया था, उस अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसको, उस पर अपनी टीका-टिप्पणियों सहित और उसके सुसंगत अभिलेख, किसी परिहार्य विलम्ब के बिना और अपील प्राधिकारी से किसी निदेश के लिए प्रतीक्षा किए बिना अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

24. (1) निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी उस पर विचार करेगा कि नियम 6 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश को पुष्ट या प्रतिसंहृत करेगा।

(2) नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले या उक्त नियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को वर्धित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि,—

(क) क्या इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं तो क्या ऐसे अननुपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण या न्याय की निष्फलता हुई है,

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष उस साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जो अभिलेख पर है, और

(ग) क्या वह शास्ति या वर्धित शास्ति जो अधिरोपित की गई है यथायोग्य, अयथायोग्य या कठोर है, और

(i) शास्ति को पुष्ट, वर्धित, कम या अपास्त करने वाले, या

(ii) जिस प्राधिकारी ने शास्ति को अधिरोपित या वर्धित किया है उसको या किसी अन्य प्राधिकारी को वह मामला ऐसे निदेशों के साथ जैसे वह उस मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे, प्रेषित करने वाले, आदेश पारित करेगा;

परन्तु—

(i) यदि वह वर्धित शास्ति जिसको अधिरोपित करने की प्रस्थापना अपील प्राधिकारी करता है, नियम 8 के खण्ड (v) से लेकर खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और उस मामले में नियम 11 के अधीन जांच पहले से नहीं की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी नियम 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी जांच स्वयं करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच, नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार की जाए और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करके और अपीलार्थी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर नियम 12 के उप-नियम (4) के उपबन्धों के यावदशक्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, देने के पश्चात्, ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे;

(ii) यदि वह वर्धित शास्ति, जिसको अधिरोपित करने की प्रस्थापना अपील प्राधिकारी करता है, नियम 8 के खण्ड (v) से लेकर खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और उस मामले में नियम 11 के अधीन जांच पहले से की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर नियम 12 के उपनियम (4) के उपबन्धों के यावत्शक्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे ; और

(iii) वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश किसी अन्य मामले में नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध नियम 13 के उपबन्धों के यावत्शक्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(3) नियम 20 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में अपील प्राधिकारी मामले की सब परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जैसे वह न्यायसंगत और सामयापूर्ण समझे।

25. वह प्राधिकारी, जिसने अपीलित आदेश किया था अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को प्रभावी करेगा ।

भाग 8 में पुनर्विलोकन

26. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् स्वप्रेरणा पर या अन्यथा मामले के अभिलेखों को मांगने के पश्चात् किसी भी ऐसे आदेश का जो इन नियमों के अधीन किया गया है या जिससे अपील अनुज्ञात है पुनर्विलोकन कर सकती है और,—

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकती है ;

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट कम, वर्धित या अपास्त कर सकती है;

(ग) उस मामले को उस प्राधिकारी को, जिसने वह आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कर सकती है कि ऐसा प्राधिकारी ऐसी अतिरिक्त जांच करे जैसी वह उस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती है, जैसे वह ठीक समझे; परन्तु यह कि —

(i) शास्ति को अधिरोपित या वर्धित करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसा अभ्यावेदन, जैसा कि वह प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध करना चाहता है, करने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।

(ii) ऐसे मामले में, जिसमें नियम 11 के अधीन जांच नहीं की गई है यदि परिषद् नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने की प्रस्थापना करती है तो वह नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्देश देगी कि ऐसी जांच की जाए और उसके पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार कर के तथा संबंधित व्यक्ति को ऐसा अभ्यावेदन, जैसा कि वह अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध करना चाहता है, करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकती है जैसे वह उचित समझे ।

(iii) ऐसे पद के लिए जिनके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 2000 रु० से अधिक है, ऐसे किसी आदेश का, जो इन नियमों के अधीन किया गया या अपीलीय है पुनर्विलोकन करने वाला प्राधिकारी सरकार होगी।

27. प्राधिकारी जिसे, नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने के विरुद्ध अपील की जा सकती है, स्वप्रेरण पर या अन्यथा, अनुशासनिक कार्यवाही के मामले के अभिलेख मंगा सकता है, ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का पुनर्विलोक कर सकता है ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसे वह उचित समझे, मानों परिषद् के कर्मचारी ने ही ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की हो ।

परन्तु यह कि पुनर्विलोकन किए जाने वाले आदेश की तारीख से छह मास से अधिक के पश्चात् इन नियमों के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

28. इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया प्रत्येक आदेश, सूचना तथा अन्य आदेशिका की तामील सम्बन्धित परिषद् के कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से की जाएगी या उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा संसूचित की जाएगी ।

29. इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, किसी आदेश के जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी, समुचित एवं पर्याप्त कारणों से या यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए गए हो, इन नियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित किसी भी बात के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है या किसी विलम्ब को माफ कर सकता है।

निर्यात निरीक्षण परिषद्

अनुसूची

क्रम संख्या	पदों का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा शास्तियां जो वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 8 में मद संख्याओं के संदर्भ में)		अपीली प्राधिकारी
			प्राधिकारी	शास्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी पद	निदेशक	निदेशक अपर निदेशक	समस्त उप निदेशक के रैंक तक (i) से (iv)	अध्यक्ष निदेशक
2.	अपर निदेशक	अध्यक्ष, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए	अध्यक्ष	समस्त	भारत सरकार
3.	निदेशक	भारत सरकार	भारत सरकार अध्यक्ष	समस्त (i) से (iv)	भारत सरकार भारत सरकार

[सं० 3(11)/76-ई०आई एण्ड ई०पी०]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 7th January, 1978

S.O. 42.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules namely :—

PART I—GENERAL

A Short title and Commencement.—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

B. Definitions.—

2. In these rules, unless the context other- wise requires,—

(a) "Council" means the Export Inspection Council ;

(b) "Appointing Authority" in relation to a Council employee means :

(i) The authority empowered to make appointment to the post which the Council employee for the time being holds ; or

(ii) The authority which appointed the Council employee to such grade or post, as the case may be, whichever authority is the highest authority.

(c) "Council employee' means a person who—

(i) is an employee of the Council and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at disposal of the Central Government, State Government, a local or other authority ;

(ii) any employee who is in the service of the Central Government, State Government, a Local or other Authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the Council ;

(d) "Group" means any of the groups specified in rule 5 ;

(e) "Head of the Department" for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority means the Director of Inspection anl Quality Control ;

(f) "Head of Office" for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority means the authority declared to be the Head of the Office by the Chairman ;

(g) "Chairman" means the Chairman of the Council ;

(h) "Director" means the Director of Inspection and Quality Control and ex-officio Member Secretary of the Council ;

(i) "Additional Director" means the Additional Director of the Council ;

(j) "disciplinary authority" means the authorty competent under these rules to impose on a Council employee any of the penalties specified in rule 8 ;

(k) words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.

C. Application.—

3. Subject to the provisions of rule 18, these rules shall apply to every Council employee.

D Interpretation.—

4. If any doubt arises with regard to the meaning of any of these rules, the matter shall be referred to the Council which shal decide the same.

PART II—CLASSIFICATION

5. For the purpose of these rules the Council employees shall be classified into the following four Groups, namely :—

Group A : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 1300.

Group B : A post carrying a pay or a scale of pay with a miximum of not less than Rs. 900 but less than Rs. 1300.

Group C : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 290 but less than Rs. 900.

Group D : A post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 290 or less.

PART III—SUSPENSION

6. (1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate of the disciplinary authority or any other authority empowered in this behalf by the Chairman or Director by special or general order may place a Council employee under suspension—

(a) where a disciplinary proceedings against him is contemplated or is pending, or

(b) where in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State, or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, enquiry or trial.

(2) A Council employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of Appointing Authority ;

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding fortyeight hours.

(b) with effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding fortyeight hours and is not forthwith, dismissed or removed or compulsorily retired consequent, to such conviction.

Explanation : The period of a fortyeight hours referred to in clause (b) shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period of imprisonment, if any shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Council employee under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Council employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decide to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Council employee shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so ;

(b) where a Council employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceedings or otherwise) and any other disciplinary proceedings is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Council employee shall continue to be under-suspension until the termination of all or any such proceedings ;

(c) an order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time modified or revoked by the authority which made or is

deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

PART IV—CONDUCT

7. Council employee shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 of the Government of India as amended from time to time.

PART V—PENALTIES & DISCIPLINARY AUTHORITIES

8. The following penalties may, for good and sufficient reasons as hereinafter provided, be imposed on a Council employee, namely :—

(i) Censure ;

(ii) Withholding of his promotion ;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Council by negligence or breach of order ;

(iv) withholding of increments of pay ;

(v) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Council employee will earn increment of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the redution wil or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(vi) reduction to a lower time scale of pay, grade post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Council employee, to the time scale of pay, grade, post from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of the restoration to that grade or post from which the Council employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post ;

(vii) compulsory retirement;

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Council; and

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Council.

Explanation.—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule namely :—

(i) withholding of increments of pay of a Council employee for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) stoppage of a Council employee at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar ;

(iii) non-promotion whether in a substantive or officiating capacity of a Council employee after consideration of his case to a grade or post for promotion to which he is eligible ;

(iv) reversion to a lower service, grade or post of a Council employee officiating in a higher grade or post on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct ;

(v) reversion to his permanent service, grade or post of a Council employee appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing probation ;

(vi) compulsory retirement of a Council employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement ;

(vii) termination of the services—

(a) of a Council employee appointed on probation during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation ; or

(b) of a temporary Council employee in accordance with the rule 16 of the Export Inspection Council Service Rules; or

(c) of a Council employee under an agreement in accordance with the terms of such agreement.

(viii) replacement of the service of the Council employee whose services had been borrowed from a Central Government, State Government or a local or other authority from which the services of such Council employee had been borrowed.

"NOTE" The Council or its subordinate authorities described under rule 9 are competent for imposing penalties within the meaning of rule 8 on an employee of the Council in respect of misconduct committed before his employment, if the misconduct was of such a nature as has rational connection with his present employment in the Council and renders him unfit and unsuitable for continuing service.

DISCIPLINARY AUTHORITIES

9. (1) The Chairman may impose any of the penalties specified in Rule 8 on any employee appointed by the Chairman or by any authority subordinate to him empowered to make such appointments.

(2) Without prejudice to the provision of sub-rule (1), any of the penalties specified in Rule 8 may be imposed on the Council employee by the authorities specified in the schedule annexed hereto.

10. (1) The Chairman or any other authority empowered by him by general or special order may—

(a) Institute disciplinary proceedings against any Council employee ;

(b) Direct a Disciplinary Authority to institute disciplinary proceedings against any Council employee on whom that Disciplinary Authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in rule 8.

2. A Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 may institute disciplinary proceedings against any Council employee for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties.

PART VI—PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

11. (1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and in the manner hereinafter provided.

(2) Whenever the disciplinary authority is of opinion that there are grounds for inquiry into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against Council employee, it may itself inquire into or appoint under this rule an authority to inquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Council employee under this rule and in the manner hereinafter provided, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up—

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles or charge ;

(ii) a statement of the imputation of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain—

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Council employee ;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the Council employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the Council employee to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it consider it necessary so to do, appoint under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the Council employee in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner hereinafter provided.

(b) If no written statement of defence is submitted by the Council employee, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may if it considers it necessary to do so, appoint under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any articles of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order appoint a Council employee or any employee working under the administrative and technical control of the Council or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority—

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour ;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the Council employee ;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3) ;

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the Council employee ; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer".

(7) The Council employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in writing, specify in this behalf, or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow.

(8) The Council employee may take the assistance of any other Council employee or any employee working under the administrative and technical control of the Council to present the case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits.

(9) If the Council-employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Council employee thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilty in respect of those articles of charge to which the Council employee pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the Council employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which the proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the Council employee may, for the purpose of preparing his defence :

(i) Inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-rule (3) ;

(ii) Submit a list of witnesses to be examined on his behalf ;

Note—If the Council employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in the possession of Council but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

Note.—The Council employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Council.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition :

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having the custody of possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority :

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the Council's interest or public interest or security of the state, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the Council employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

14. On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the Council employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine he witness on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

15. If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting officer to produce evidence not included in the list given to the Council employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the Council employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence exclusive of the day of adjournment and

the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the Council employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authoriy may also allow the Council employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

Note.—New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

16. When the case for the disciplinary authority is closed the Council employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the Council employee shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

17. The evidence on behalf of the Council employee shall then be produced. The Council employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the Council employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

18. The inquiring authority may, after the Council employee closes his case, and shall, if the Council employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the Council employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

19. The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting officer, if any, appointed, and the Council employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

20. If the Council employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry-ex parte.

21. (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalities specified in clause (i) to (iv) of rule (8) but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) rule (8) has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule (8) should be imposed on the Council employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the Council employee such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiry authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself ;

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

23 (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour ;

(b) the defence of the Council employee in respect of each article of charge ;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge ;

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation.—If in the opinion of the inquiry authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge difference from the original article of the charge, it may record its findings on such article of charge.

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the Council employee is either admitted the facts on which such article of charge is based or has a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—

(a) the report prepared by it under clause (i) ;

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the Council employee ;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry ;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the Council employee or both during the course of the inquiry ; and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

12. (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule (11) as far as may be applicable.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule (8) should be imposed on the Council employee. It shall, notwithstanding anything contained in rule 13, make an order imposing such penalty.

(4) (i) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule (8) should be imposed on the Council employee, it shall—

(a) furnish to the Council employee a copy of the report of the inquiry held by it and its findings on each article of charge, or, where the inquiry has been held by an inquiring authority, appointed by it, a copy of the report of such authority and a statement of its findings on each article of charge together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority ;

(b) give the Council employee a notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within fifteen days of receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days, as may be allowed, such representation as he may wish to make on the proposed penalty on the basis of the evidence adduced during the inquiry held under rule 11.

(ii) The disciplinary authority shall considering the representation, if any, made by the Council employee in pursuance of the notice given to him under clause (i) and determine what penalty if any

should be imposed on him and made such order as it may deem fit.

13. (1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12, no order imposing on a Council employee any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 shall be made except after—

(a) informing the Council employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 11 in every case in which the disciplinary authority is of opinion that such inquiry is necessary;

(c) taking the representation if any, submitted by the Council employee under clause (a) and the record of inquiry, if any held under clause (b) into consideration; and

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

(2) The record of the proceedings in such cases shall include—

(i) a copy of the intimation to the Council employee of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;

(iii) his representation, if any;

(iv) the evidence produced during the inquiry;

(v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(vi) the orders on the case together with the reasons therefor.

14. Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the Council employee who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings on each article of charge, or where the disciplinary authority, is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority (unless they have already been supplied to him).

15. (1) Where two or more Council employees are concerned in any case, any authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Council employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceedings.

Note.—If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Council employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceedings may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Any such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding;

(ii) the penalties specified in rule 8 which such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in rule 11 and rule 12 or rule 13 shall be followed in the proceeding.

16. Notwithstanding anything contained in rules 11 to 15—

(i) where a penalty is imposed on a Council employee on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(ii) where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said rules, the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and pass such orders hereon as it deems fit.

17. (1) Where the services of a Council employee are lent to a Central, State Government or an authority subordinate thereto or to a local or other authority (hereinafter in this rule refered to as "the borrowing authority") the borrowing authority shall have the powers of the Appointing Authority for the purpose of placing him under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of taking a disciplinary proceeding against him;

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent his services (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the Council employee—

(i) If the borrowing authority is of opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 should be imposed on him, it may, after consultation with the Disciplinary Authority of the Council pass such orders on the case as it deems necessary.

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the Disciplinary Authority of the Council the Services of the Council employees shall be replaced at the disposal of the Council.

(ii) If the borrowing authority is of opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule (8) should be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the Council and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the Disciplinary Authority of the Council may pass such orders thereon as it deems necessary;

Provided that in passing any such order the Disciplinary Authority shall comply with the provisions of sub-rules (3) and (4) of rule 12.

Explanation.—The Disciplinary Authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary.

18. (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is taken against a Council employee (whose services have been borrowed from a Central or State Government or a local or other authority) the authority lending his services (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the employee referred to in sub-rule (1):—

(i) If the Disciplinary Authority of the Council is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 shall be imposed on him, it may subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12 and except in regard to a Government servant serving in the Intelligence Bureau upto the rank of Assistant Central Intelligence Officer after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it deems necessary;

Provided that in the event of a difference of opinion between the Disciplinary Authority of the Council and the lending authority the services of such employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the Disciplinary Authority is of opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on him it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary.

PART VII—APPEALS

19. Notwithstanding anything contained in this Part, no appeal shall lie against:—

(i) any order made by the Council except for the posts carrying pay or scale of pay maximum of which

exceeds Rs. 2000, in which case the appeal shall be made to the Central Government.

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 11.

20. Subject to the provisions of rule 19, a Council employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :—

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under rule 6.

(ii) an order imposing any of the penalties specified in rule 8 where made by the disciplinary authority.

(iii) an order enhancing any penalty, imposed under rule 8.

(iv) an order which :—

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, or other conditions of service as regulated by rules or by agreement; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement;

(v) an order—

(a) stopping him at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(b) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, otherwise than as a penalty;

(c) determining the subsistance and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(d) determining his pay and allowances—

(i) for the period of suspensions, or

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a time scale of pay, to the date of his re-instatement or restoration of his grade or post, or

(e) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower grade, post, time scale of pay or stage in a time scale of pay to the date of his re-instatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation.—in this rule—

(i) the expression 'Council employee' includes a person who has ceased to be in Council service.

21. (1) The Council employee, including a person who has ceased to be in Council service, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in rule 20 to the authority specified in the Schedule.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1)—

(i) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 15 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate;

(ii) where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of the subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

(3) A Council employee may prefer an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 8 to the Chairman except for the posts carrying pay or scale of pay maximum of which exceeds Rs. 2000, in which case the appeal shall be made to the Central Government, where no such appeal lies to him under sub-rule (1) or sub-rule (2), if such penalty is imposed, by any authority other than the Chairman on such Council employee in respect of his activities connected with his work as an office-bearer of an association, federation, or union participating in the Joint Consultation and Compulsory arbitration Scheme.

22. No appeal preferred under this part shall be entertained unless it is submitted within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

23. (1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any dis-respectful or improper language and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same which its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority

24. (1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of rule 6 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 8 or enhancing any penalty imposed under the said rule, the appellate authority shall consider :—

(a) Whether the procedure laid down in these rules has been complied with, and if not, whether such non-compliance has resulted in the failure of justice.

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record, and

(c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe.

and pass orders—

(i) confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case.

provided that—

(i) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 and an inquiry under rule 11 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 16, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 11 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 12 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit;

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 and an inquiry under rule 11 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity as far as may be in

accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 12, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the inquiry, make such orders as it may deem fit ; and

(iii) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of rule 13 of making a representation against such enhanced penalty.

(3) In an appeal against any other order specified in rule 20 the Appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

25. The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority

PART VIII—REVIEW

26. Notwithstanding anything contained in these rules, the Council may on its own motion or otherwise, after calling for the records of the case, review any order which is made or is appealable under these rules ; and

(a) confirm, modify or set aside, the order ;

(b) impose any penalty or set aside, reduce confirm or enhance the penalty imposed by the order ;

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such further action on enquiry as it considers proper in the circumstances of the case ; or

(d) pass such other orders as it deems fit ;

Provided that—

(i) an order imposing or enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of making any representation which he may wish to make against the penalty proposed.

(ii) if the Council proposes to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 in a case where an inquiry under rule 11 has not been held, it shall, subject to the provisions of rule 16, direct that such inquiry be held and thereafter on consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the person concerned an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty, pass such orders as it may deem fit.

(iii) for the posts carrying pay or scale of pay maximum of which exceeds Rs. 2000, the authority to review any order which is made or is appealable under these rules shall be the Central Government.

27. The authority to which an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 8 lies may, on its own motion or otherwise, call for the records of the case in a disciplinary proceeding, review any order passed in such a case and pass such orders as it deems fit, as if the Council employee had preferred an appeal against such order.

Provided that no action under this rule shall be initiated more than six months after the date of the order to be reviewed.

28. Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be served in person on the Council/employee concerned or communicated to him by registered post.

29. Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

SCHEDULE

EXPORT INSPECTION COUNCIL

Sl. No.	Description of posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 8)		Appellate Authority
			Authority	Penalities	
1	2	3	4	5	6
1.	All posts upto the rank of Joint Director	Director	Director Addl. Director	All (i) to (iv) upto the rank of Dy. Director.	Chairman Director
2.	Additional Director	Chairman Subject to the approval of the Govt. of India	Chairman	All	Govt. of India
3.	Director	Govt. of India	Govt. of India Chairman	All (i) to (iv)	Govt. of India Govt. of India.

[No. 3(11)/76-E-I & EP]

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

का०आ० 43.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

भाग—I साधारण

क. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

ख. परिभाषाएं :—

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'परिषद्' से निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के उप खंड (1) के अधीन निर्देशित निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) अभिकरण के कर्मचारी के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है:

(i) वह प्राधिकारी जो उस पद पर नियुक्ति के लिए सशक्त किया है जो पद अभिकरण का कर्मचारी तत्समय धारण करता है : या

(ii) वह प्राधिकारी जिसने अभिकरण के कर्मचारी को ऐसी श्रेणी या पद पर नियुक्त किया है जैसा भी मामला हो, जो भी प्राधिकारी उच्चतम प्राधिकारी हो।

(घ) 'अभिकरण के कर्मचारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अभिकरण का कर्मचारी है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो पर सेवा में है या जिसकी सेवाएं अस्थाई रूप से केन्द्रीय सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को सौंप दी गई हैं :

(i) कोई कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा में है और जिसकी सेवाएं अस्थाई रूप से अभिकरण को सौंप दी गई हैं :

(ङ) 'समूह' से नियम 5 में विनिर्दिष्ट कोई भी समूह अभिप्रेत है ;

(च) 'विभाग के प्रधान अधिकारी' से नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीली या पुनर्विलोकन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण का निदेशक अभिप्रेत है ;

(छ) 'कार्यालय का प्रधान' से वह प्राधिकारी जो नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीली या पुनर्विलोकन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा घोषित कार्यालय का प्रधान होने के लिए अभिप्रेत है ;

(ज) 'अध्यक्ष' से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(झ) 'निदेशक' से निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण का निदेशक तथा परिषद् का पदेन सदस्य सचिव अभिप्रेत है :

(ञ) 'अपर निदेशक' से परिषद् का अपर निदेशक अभिप्रेत है ;

(ट) 'संयुक्त निदेशक' से परिषद् का संयुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;

(ठ) 'उप-मुख्य कार्यपालक' से अभिकरण का उप-मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है ;

(ड) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से अभिकरण के कर्मचारी पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक अधिरोपित करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ढ) इन नियमों में प्रयोग किए गए किन्तु परिभाषित नहीं किए गए और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 में परिभाषित किए गए हैं शब्दों तथा पदों का वही अर्थ है जो उन नियमों में क्रमशः उनका है :

ग. लागू होना .—

3. नियम 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये नियम परिषद् के प्रत्येक अभिकरण के कर्मचारी को लागू होंगे :

घ. निर्वचन .—

4. इन नियमों में से किसी के अर्थ की बाबत यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उनका विनिश्चय करेगी।

भाग-II वर्गीकरण

5. इन नियमों के प्रयोजनार्थ अभिकरण के कर्मचारियों का निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :—

समूह क: वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 1300 रु० से कम नहीं है।

समूह ख : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 900 रु० से कम नहीं है किन्तु 1300 रु० से कम है।

समूह ग : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 290 रु० से अधिक किन्तु 900 रु० से कम है।

समूह घ : वह पद जिसके वेतन मान का अधिकतम 290 रु० या उससे कम हो।

भाग—III—विलम्बन

6. (1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई भी प्राधिकारी जो उसके प्राधिकारी अध्यन या निदेशक के विशिष्ट या साधारण आदेश से इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी अभिकरण के कर्मचारी को निम्नलिखित दशाओं में विलम्बित कर सकता है —

(क) उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां अनुध्यात हो या लम्बित हो, या

(ख) जब उसने पूर्वोक्त प्राधिकरण की राय राज्य की प्रतिरक्षा के हित में प्रतिकूल कार्यवाहियों में स्वयं को लगाया हो, या

(ग) उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक अपराध की बाबत मामला अन्वेषण जांच या विचारण के अधीन हो।

(2) अभिकरण का कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से—

(क) उसके विरोध की तारीख से विलम्बनाधीन समझा जाएगा, यदि वह आपराधिक आरोप के कारण या अन्यथा अड़तालीस घंटों की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रखा गया है ;

(ख) उसकी दोष सिद्धि की तारीख से विलम्बनाधीन समझा जाएगा यदि अपराध की दोषसिद्धि की दशा में उसे अड़तालीस घंटों से अधिक की कारावास की अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया है और इस दोष सिद्धि के परिणाम-स्वरूप तत्काल ही पदच्युत नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त नहीं किया जाता।

स्पष्टीकरण :— इस नियम से खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि, दोषसिद्ध के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ से गणना में ली जाएगी और यदि कारावास की कोई अन्तराधिक कालावधि हो तो वह इस प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी।

(3) जहां अभिकरण विलम्बनाधीन कर्मचारी पर सेवा से पदच्युति हटाए जाने, या अनिवार्य निवृत्ति की अधिरोपित शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाती है और मामला

अतिरिक्त जांच या कार्यवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित किया जाए वहां उसके निलम्बन का आदेश पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख को और उससे प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगा।

(4) जहां अभिकरण के कर्मचारी पर सेवा से पदच्युति, हटाए जाने, या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त कर गई है या शून्य घोषित कर दी गई है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करके यह विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों पर जिन पर मूलतः पदच्युति, हटाया जाने, या अनिवार्यतः निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी अतिरिक्त जांच की जाए वहां यह समझा जाएगा कि अभिकरण का कर्मचारी, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से निलम्बनाधीन कर दिया गया है और आगे आदेश होने तक निलम्बनाधीन रहेगा।

(5) (क) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा उपान्तरित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है।

(ख) जहां कि अभिकरण का कर्मचारी (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाई के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित किया जाता है और उस निलम्बन के लागू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाई आरम्भ की जाती है वहां वह प्राधिकारी जो, उसे निलम्बनाधीन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उन कारणों से जो उसके द्वारा लेख बद्ध किया जाए यह निदेश दे सकता है कि अभिकरण का कर्मचारी ऐसी सभी कार्यवाहियों या उनमें से किसी के पर्यवसान तक निलम्बनाधीन बना रहेगा।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया है या जिस की बाबत यह समझा जाता है कि उसने आदेश किया है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है, किसी भी समय उपान्तरित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

भाग-IV—आचरण

7. अभिकरण कर्मचारी भारत सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 द्वारा शासित होगा।

भाग-V—शास्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी

8. अभिकरण के कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां, इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित व सही और पर्याप्त कारणों से, अधिरोपित की जा सकती है, अर्थात् :—

(1) परिनिन्दा—(सेंसर);

(2) प्रोन्नति रोकना;

(3) उस कर्मचारी द्वारा उपेक्षा से या आदेशों के भंग से परिषद् को पहुंचाई गई धन संबंधी क्षति की संपूर्ण हानि या भागता उसके वेतन से वसूली;

(4) वेतन-वृद्धियों का रोका जाना;

(5) काल वेतन मान में किसी ऐसे निम्नतर क्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति अतिरिक्त निदेशों सहित कि ऐसी अवनति की कालावधि के दौरान अभिकरण का कर्मचारी वेतन-वृद्धि या उपार्जित करेगा या नहीं और या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर उस अवनति का प्रभाव उसके वेतन की वेतनवृद्धियों को मुलतवी करने का होगा या नहीं;

(6) निम्नतर काल वेतन-मान, श्रेणी, या पद में अवनति जो मामूली तौर पर अभिकरण के कर्मचारी की उस काल वेतन-मान, श्रेणी, या पद पर जिससे वह अवनत किया गया था प्रोन्नति के लिए वर्णनकारी होगी अवनति का आदेश उस श्रेणी या पद में जिसने अभिकरण का कर्मचारी अवनत किया गया था पुनः रखे जाने की शर्तों की बाबत और उस श्रेणी या पद पर पुनः रखे जाने पर उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत अतिरिक्त निदेशों सहित या उसके बिना होगा;

(7) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;

(8) सेवा से हटाया जाना, जो अभिकरण के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; तथा

(9) सेवा से पदच्युति जो अभिकरण के अधीन भावी नियोजन के लिए मामूली तौर से निरर्हता होगी।

स्पष्टीकरण :— निम्नलिखित इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत शास्ति नहीं समझे जाएंगे :—

(1) अभिकरण के कर्मचारी के वेतन वृद्धियों का, उन नियमों और आदेशों के अनुसार जो उस पद की जिसे वह धारण किए हुए है, या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों को शासित करते हैं कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण रोका जाना;

(2) अभिकरण के कर्मचारी को काल वेतन मान में दक्षता रोध पर इस आधार पर रोक लेना कि वह दक्षता रोध से आगे जाने के लिए अयोग्य है;

(3) अभिकरण के कर्मचारी की, उस सेवा श्रेणी या पद पर जिस पर प्रोन्नति के लिए वह पात्र है, चाहे उसके मामले पर विचार करके चाहे अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न हैसियत में प्रोन्नति न करना;

(4) अभिकरण के ऐसे कर्मचारी का जो उच्चतर श्रेणी या पद स्थानापन्न हैसियत में कार्य कर रहा निम्नतर सेवा श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि उच्चतर सेवा श्रेणी, या पद के लिए वह यथोचित नहीं समझा जाता है, या ऐसे प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से संबद्ध नहीं है, प्रतिवर्तन;

(5) अभिकरण के ऐसे कर्मचारी का जो किसी अन्य सेवा श्रेणी या पद में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में स्थाई सेवा, श्रेणी या पद पर उसकी नियुक्ति निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार प्रतिवर्तन;

(6) अभिकरण के कर्मचारी की अधिवार्षिकी या सेवा-निवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार अनिवार्य सेवा-निवृत्ति;

(7) (क) पश्चिम् के ऐसे कर्मचारी को, जो परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसे परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में; या

(ख) नियत निरीक्षण अभिकरण सेवा नियमों के नियम 16 के अनुसार अभिकरण के अस्थायी कर्मचारी की; या

(ग) ऐसे करार के अधीन अभिकरण के कर्मचारी की, ऐसे करार की शर्तों के अनुसार; सेवा की समाप्ति;

(8) अभिकरण के कर्मचारी की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को, जिससे अभिकरण के ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उधार ली गई हों, प्रतिस्थापन :

टिप्पणी :—नियम 9 में वर्णित अभिकरण या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी नियम 8 के अर्थ में अभिकरण के कर्मचारी पर, उसके नियोजन से

पूर्व किए गए अवचार की बाबत यदि अवचार इस प्रकार का था जिसका अभिकरण में उसके वर्तमान नियोजन से तर्कसंगत संबंध है तथा वह उसे सेवा में बने रहने के अयोग्य और अनुपयुक्त बना देता है, शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

अनुशासनिक प्राधिकारी

9. (1) अध्यक्ष नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित कर सकता है ;

(2) उप-नियम (1) के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी अभिकरण के कर्मचारी पर उससे उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

10. (1) अध्यक्ष या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश से सशक्त प्राधिकारी:—

(क) अभिकरण के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा ;

(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी अभिकरण के किसी कर्मचारी के विरुद्ध जिस पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए वह सक्षम है अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए निवेश दे सकता है।

(2) नियम 8 के खंड (1) से (4) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी अधिरोपित करने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी, अभिकरण नियम 8 के खंड-वाक्य (5) से (9) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिए सक्षम न होते हुए भी, शास्तियों को अभिकरण के कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा।

भाग-VI—शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया

11. (1) नियम 8 के खंड (5) से (9) में विनिर्दिष्ट शास्तियों अधिरोपित करने का कोई भी आदेश, यथा संभव इस नियम में दी गई रीति और इसमें इसके पश्चात् दी गई रीति से की गई जांच के बिना, नहीं दिया जाएगा।

(2) जब कभी भी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि अभिकरण के कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार या कदाचार के लांछन की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है, तब वह उसकी सत्यता की स्वयं जांच कर सकेगा या ऐसा करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—जहां कि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहां उप-नियम (7) से उप-नियम (20) तथा उप-नियम (22) में जांच प्राधिकारी के लिए किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

(3) जहां कि इस नियम के अधीन तथा इसमें इसके पश्चात् दी गई रीति से अभिकरण से कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच करने की प्रस्तावना है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी—

(1) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को विनिश्चित और सुभिन्न आरोप के अनुच्छेद ;

(2) आरोप के हर एक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण, जिसमें—

(क) सब सुसंगत तथ्यों का, जिनके अन्तर्गत परिषद् के कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति भी आती है, कथन,

(ख) उक्त दस्तावेजों की एक सूची जिनके द्वारा साक्ष्यों की एक सूची जिसके द्वारा अभियोग आरोप के अनुच्छेदों का संमर्थन करना प्रस्थापित है अन्तर्विष्ट होंगे,

विरचित करेगा या कराएगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति और उन दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची, जिन के द्वारा आरोपों के हर एक अनुच्छेद को समर्थित करना प्रस्तावित है, अभिकरण के कर्मचारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा और अभिकरण के कर्मचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन निवेदित करे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से सुना जाए।

(5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर, अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों को जो स्वीकार नहीं किए गए हैं, जांच स्वयं कर सकता है, या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो उप-नियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी को नियुक्त कर सकता है, और जहां अभिकरण के कर्मचारी से प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए हैं वहां अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे हर एक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा तथा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से कार्य करेगा।

(ख) यदि प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन अभिकरण के कर्मचारी द्वारा निवेदित नहीं किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेद की जांच स्वयं कर सकता है, या, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेद की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए कोई जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है वहां वह, अभिकरण के कर्मचारी को या परिषद् के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारी को या किसी विधि-व्यवसायी को, आदेश द्वारा नियुक्त कर सकता है, जो आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थित करने के उपस्थापक आफ़िसर के नाम से ज्ञात होगा।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां वहां वह जांच प्राधिकारी न हो, जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा —

(i) आरोप के अनुच्छेदों और अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन की एक प्रति ;

(ii) अभिकरण के कर्मचारी ने प्रतिरक्षा का यदि कोई लिखित कथन, निवेदित किया है, तो उसकी एक प्रति;

(iii) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्यों के कथनों की, यदि कोई हो, एक प्रति;

(iv) अभिकरण के कर्मचारी के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के परिवान को साबित करने वाले साक्ष्य; और

(v) 'उपस्थापनए-आफ़िसर' को नियुक्त करने के आदेश की एक प्रति।

(7) अभिकरण का कर्मचारी जांच प्राधिकारी के सामने उसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों की और अवचार या कदाचार के लांछों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य-दिवसों के भीतर, उस दिन और उस समय, पर जो जांच-प्राधिकारी निम्नलिखित सूचना द्वारा इसे निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या इस दिनों से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे स्वयं हाजिर होगा।

(8) अभिकरण का कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी का परिषद् के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी की सहायता ले

सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि-व्यवसायी को तब तक नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापन आफ़िसर विधि-व्यवसायी न हो अथवा आनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुशासन दे।

(9) यदि अभिकरण का वह कर्मचारी, जिसने आरोप के अनुच्छेदों में से किसी को प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन निवेदित नहीं किया है, जांच प्राधिकारी के सामने हाजिर होता है, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेदों में से किसी का दोषी होने का अभिवचन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिवाक को, अभिलिखित करेगा और अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और अभिकरण के कर्मचारी के हस्ताक्षर उस पर अभिप्राप्त करेगा।

(10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के बारे में, जिनके दोषी होने का अभिवचन अभिकरण का कर्मचारी करता है दोषी होने के निष्कर्ष देगा।

(11) जांच प्राधिकारी यदि अभिकरण का कर्मचारी, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता है तो उपस्थापक आफ़िसर से ये अपेक्षा करेगा कि वह उन साक्ष्यों को पेश करे जिनसे वह आरोप के अनुच्छेद के साबित करने की प्रस्थापना करता है और मामले को यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिनों से अनधिक पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थापित करेगा कि अभिकरण का कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए—

(i) आदेश के पांच दिन के भीतर पांच दिन से अनधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके;

(ii) उन साक्ष्यों की, जिनकी परीक्षा उनकी ओर से की जानी है, एक सूची दे सके;

टिप्पणी:—यदि अभिकरण का कर्मचारी उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में वर्णित साक्षियों के कथनों की प्रतियों के प्रदाय के लिए मौखिक या लिखित रूप में आवेदन करता है तो जांच प्राधिकारी ऐसी प्रतियां यथा संभव शीघ्र और किसी भी दशा में आनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा के प्रारंभ से पूर्व तीस दिन के अनुपरान्त उसे देगा।

(iii) आदेश के दस दिन के भीतर, या दस दिन से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जितना कि जांच अधिकारी अनुज्ञात करे ऐसे किन्हीं दस्तावेजों को, जो अभिकरण के कब्जे में है किन्तु, जो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में वर्जित नहीं हैं, प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना दे सकेगा;

टिप्पणी:—अभिकरण का कर्मचारी उन दस्तावेजों की सुसंगति उपदर्शित करेगा जिसके अभिकरण द्वारा प्रकटीकरण या पेश किए जाने के लिए उससे अपेक्षा की है।

(12) जांच प्राधिकारी दस्तावेजों की प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर वह सूचना या उसकी प्रतियां, दस्तावेजों के उस तारीख तक पेश करने की अध्यपेक्षा के साथ जो कि ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गए हैं, अग्रेषित करेगा :

परन्तु जांच प्राधिकारी, ऐसी दस्तावेजों की जो उसकी राय में मामले से सुसंगत नहीं है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अध्यपेक्षा करने से इंकार कर सकता है।

(13) उप-नियम (12) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर हर प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज है, उन्हें जांच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा :

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज है ऐसे कारणों से उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो गया है कि ऐसे सभी दस्तावेजों का या उनमें से किसी का पेश किया जाना अभिकरण के हित या लोक हित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार इत्तिला देगा और ऐसी इत्तिला मिलने पर जांच प्राधिकारी यह इत्तिला अभिकरण के कर्मचारी को संसूचित करेगा और उस अध्यपेक्षा के जो ऐसी दस्तावेजों के पेश करने या प्रकटीकरण के लिए की है तथा ऐसी अध्यपेक्षा को प्रत्याहृत कर लेगा।

(14) उस तारीख को जो जांच के लिए नियत है वह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का साबित किया जाना, प्रस्थापित है, आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पेश किया जाएगा। साक्षियों की परीक्षा उपस्थापक आफ़िसर द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी और उसकी प्रतिपरीक्षा अभिकरण के कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी। उपस्थापक आफ़िसर साक्षियों की पुनः परीक्षा उस किन्हीं बातों पर करने का हकदार होगा, जिनपर उनकी प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी नई बात पर नहीं। जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा जैसे ठीक समझे।

(15) यदि आनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बंद किए जाने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत हो, तो जांच प्राधिकारी उपस्थापक आफिसर को ऐसा साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा स्वविवेकानुसार, दे सकता है, अभिकरण के जो कर्मचारी को दी गई सूची के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, या नया साक्ष्य स्वयं तलब कर सकता है या किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है और उसकी परीक्षा पुनः कर सकता है और ऐसी दशा में अभिकरण का कर्मचारी ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जिसके पेश करने की प्रस्थापना हो, एक प्रति, यदि वह उसकी मांग करे तो, पाने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व तीन पूरे दिनों के लिए जांच के स्थगन का, जिनमें से स्थगन का दिन और वह दिन जिसके लिए जांच स्थगित की गई हो अपवर्जित किए जाएंगे, हकदार होगा। जांच प्राधिकारी अभिकरण के कर्मचारी को ऐसी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर उन्हें अभिलेख पर लाए जाने के पूर्व, देगा। जांच प्राधिकारी अभिकरण के कर्मचारी को भी नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकता है, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे साक्ष्य का पेश किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है।

टिप्पणः—साक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के लिए नया साक्ष्य अनुज्ञात या तलब नहीं किया जाएगा और न कोई साक्षी पुनः बुलाया जाएगा। ऐसा साक्ष्य केवल उस दशा में तलब किया जा सकता है जब उस साक्ष्य में, जो मूलतः पेश किया गया है, कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद कर दिया जाए, तब अभिकरण के कर्मचारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा मौखिक या लिखित जैसे भी वह अच्छा समझे, कथित करे। यदि प्रतिरक्षा मौखिक की जाती है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और अभिकरण के कर्मचारी से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों में से किसी भी दशा में प्रतिरक्षा के कथन की प्रति उपस्थापक आफिसर को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।

(17) अभिकरण के कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। अभिकरण का कर्मचारी यदि वह ऐसा करना अच्छा समझे तो, अपनी ओर से स्वयं अपनी परीक्षा कर सकेगा। तब उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी, जो अभिकरण के कर्मचारी द्वारा पेश किए जाएं और ये जांच प्राधिकारी उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा उन्हीं उपबंधों के

अनुसार कर सकता है जो अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों को लागू हैं ।

(18) अभिकरण के कर्मचारी के अपना मामला बंद कर देने के पश्चात् जांच प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए कि अभिकरण का कर्मचारी अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में अभिकरण के कर्मचारी के विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न कर सकता है और यदि अभिकरण के कर्मचारी से स्वयं अपनी परीक्षा नहीं की है, तो ऐसा अवश्य करेगा।

(19) जांच प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा हो जाने के पश्चात् उपस्थापक आफिसर को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो और अभिकरण के कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि वे ऐसा चाहे तो उन्हें अपने-अपने मामले के लिखित संक्षेप फाइल करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(20) यदि वह अभिकरण का कर्मचारी, जिसे आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रति परिदत्त की गई है, तत्‌ प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले प्रतिरक्षा का लिखित कथन निवेदित नहीं करता है या जांच प्राधिकारी के सामने स्वयं हाजिर नहीं होता है या इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है या अनुपालन करने से इंकार करता है, तो जांच प्राधिकारी एकपक्षीय जांच कर सकता है।

(21) (क) जहां इस अनुशासनिक प्राधिकारी से जो नियम 8 के खंड (i) से लेकर खंड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है किन्तु नियम 8 के खंड (v) से लेकर खंड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है, किसी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं की हो या कराई हो और उस प्राधिकारी की स्वयं अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, या किसी जांच प्राधिकारी के, जिसे उसने नियुक्त किया हो, निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए वह राय हो कि नियम 8 के खंड (v) से लेकर खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिएं, वहां वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख उस अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो अन्तिम वर्णित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे गए हों, अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो उस साक्षी को पुनः बुला सकता है और उस साक्षी की परीक्षा प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है और अभिकरण के कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जैसी वह इन नियमों के अनुसार ठीक समझे।

(22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने से और अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें अधिकारिता प्रयोग करने से परिविरत हो जाता है और कोई अन्य जांच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागतः अभिलिखित और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है :

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसे साक्षी में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किन्हीं भी ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है उनकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा उससे उपबंधित रीति में कर सकता है।

(23)(i) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी :—

(क) आरोप के अनुच्छेद और अपचार या कदाचार के लाछनों का विवरण;

(ख) आरोप के हर एक अनुच्छेद की बाबत अभिकरण के कर्मचारी की प्रतिरक्षा;

(ग) आरोप के हर एक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) आरोप के हर एक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उनके लिए कारण।

स्पष्टीकरण :—यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही से आरोप का ऐसा कोई अनुच्छेद स्थापित होता है, जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है :

परन्तु आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे, जब तक कि अभिकरण के कर्मचारी से उन तथ्यों को जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है या तो स्वीकार न कर लिया हो या आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का उसे युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो ।

(ii) जांच प्राधिकारी, वहां जहां वह स्वयं ही अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच के अभिलेख अग्रेषित करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) जो उसके द्वारा खंड (i) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) जो अभिकरण के कर्मचारी द्वारा निवेदित प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के अनुक्रम में पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) उपस्थापक आफिसर या अभिकरण के कर्मचारी या दोनों द्वारा जांच के अनुक्रम में फाइल किए गए लिखित संक्षेप, यदि कोई हों; और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई हों।

12. (1) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह स्वयं ही जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को अतिरिक्त जांच के लिए जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकता है और जांच प्राधिकारी तदुपरि यावतशक्य नियम 11 के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त जांच करने के लिए अग्रसर होगा ।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, तो वह ऐसी असहमति के कारणों को लेखबद्ध करेगा और यदि वह साक्ष्य, जो अभिलेख पर है, उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, तो ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी अनुच्छेदों या उन में से किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि नियम 8 के खंड (i) से लेकर खंड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह नियम 13 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश करेगा;

(4)(i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी अनुच्छेदों या उनमें से किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 8 के खंड (v) से लेकर खंड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह—

(क) अपने द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट और आरोप के हर एक अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों की एक प्रति या, जहां जांच उसके द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी द्वारा की गई हो वहां ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से अपनी असहमति के यदि कोई हो, संक्षिप्त कारणों के सहित अभिकरण के कर्मचारी को देगा ;

(ख) अभिकरण के कर्मचारी को एक सूचना देगा, जिसमें वह शास्ति कथित होगी, जिसको उस पर अधिरोपित करने की प्रस्थापना हो और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन या पन्द्रह दिन से अनधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर, जितना अनुज्ञात किया जाए, ऐसा अभिवेदन प्रस्तुत करे जैसा कि वह नियम 11 के अधीन की गई जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति की बाबत करना चाहे ;

(ii) अभिकरण के कर्मचारी खंड (i) के अधीन उसे दी गई सूचना के अनुसरण में यदि कोई अभिवेदन किया गया हो तो उस पर, और आयोग द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और वह अवधारित करेगा कि उस पर कौन सी शास्ति, अधिरोपित की जानी चाहिए और ऐसा आदेश करेगा, जैसा वह ठीक समझे।

13. (1) नियम 12 के उप-नयम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि नियम 8 के खंड (i) से लेकर खंड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित करने का कोई भी आदेश—

(क) अभिकरण के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की ओर अवचार या कदाचार के उन लांछनों की जिस पर उस कार्रवाई करने की प्रस्थापना हो, लिखित इत्तिला अभिकरण के कर्मचारी को देने और ऐसा अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह उस प्रस्थापना के विरुद्ध देना चाहे, उसे देदे ;

(ख) नियम 11 के उपनियम (3) से लेकर (23) तक में अधिकथित रीति में हर ऐसे मामले में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच करना आवश्यक है, जांच करने;

(ग) खंड (क) के अधीन अभिकरण के कर्मचारी द्वारा निवेदित अभिवेदन पर, यदि कोई हो, और खंड (ख) के अधीन की गई जांच, यदि कोई हो के अभिलेख पर विचार करने; और

(घ) अवचार या कदाचार के हर एक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् दिया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तर्गत निम्नलिखित आएंगे—

(i) अभिकरण के कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की एक प्रति।

(ii) उनको परिदत्त अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति।

(iii) उसका अभिलेख, यदि कोई हो ।

(iv) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य ;

(v) अवचार या कदाचार के हर लांछन पर निष्कर्ष, और

(vi) उस मामले पर कारणों सहित आदेश।

14. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश अभिकरण के कर्मचारी को संसूचित किए जाएंगे, जिसको अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की, यदि कोई हो, रिपोर्ट की एक प्रति और अरोप के हर एक अनुच्छेद पर उनके निष्कर्षों की एक प्रति या वहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति और अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों से अपनी असहमति के, यदि कोई हो। संक्षिप्त कारण भी तब के सिवाय जब कि वे उसे पहले ही दे दिए गए हों दिए जायेंगे।

15. (1) जहां अभिकरण के कर्मचारी दो या अधिक मामले से संबंधित हैं, वहां राष्ट्रपति या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे सभी अभिकरण के कर्मचारियों पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निदिष्ट करने वाला आदेश कर सकता है कि उन सबके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक से सामान्य कार्यवाही में की जा सकती है।

टिप्पणी : यदि अभिकरण के कर्मचारियों पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न भिन्न है, तो अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य कार्यवाही करने का आदेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम द्वारा, अन्यों की सम्मति से, दिया जा सकता है।

(2) ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित का विनिर्देश होगा—

(i) वह प्राधिकारी, जो ऐसी सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा ;

(ii) नियम 8 में विनिर्दिष्ट वे शक्तियां जिन्हें अधिरोपित करने के लिए ऐसा आनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा ;

(iii) नियम 11 और नियम 12 या नियम 13 में अधिकथित प्रक्रिया अनुसरण उस कार्यवाही में किया जाएगा या नहीं।

16. नियम 11 से लेकर नियम 15 तक में किसी बात के होते हुए भी

(i) जहां कि अभिकरण के कर्मचारी पर कोई शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई है, जिसके कारण आपराधिक पर उसकी दोषसिद्धि हुई है, या

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का उस के द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो गया है कि उक्त नियमों में उपबंधित प्रक्रिया का पालन करना युक्ति युक्त रूप से साध्य नहीं है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले के परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे वह ठीक समझे ।

17. (1) अभिकरण के कर्मचारी केन्द्रीय, राज्य सरकार को या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को (जिसे इस में इसके पश्चात् उधार लेने वाला प्राधिकारी कहा गया है) उधार दी जाती है, वहां उधार लेने वाले की कार्यवाही प्राधिकारी को, अभिकरण के कर्मचारी को विलम्बनाधीन करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की ओर उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही का संचालन करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां होंगी ।

परन्तु उधार लेने वारा प्राधिकारी उस प्राधिकारी को जिसने परिषद के कर्मचारी की सेवाएं उधार दी हों (जिसे इस नियम में इसके पश्चात उधार देने वाला प्राधिकारी कहा गया है) उन परिस्थितियों की इत्तिला, जिनका परिणाम यथास्थित ऐसे अभिकरण के कर्मचारी के विलम्बन का आदेश या अनुशासनिक कार्यवाही का, प्रारम्भ हुआ हो तत्क्षण देगा।

(2) अभिकरण के कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए—

(i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 8 के खंड (i) से लेकर खंड (iv) तक में विनिर्दिष्ट

शक्तियों में से कोई शक्ति अधिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो अभिकरण के अनुशासनिक प्राधिकारी से परामर्श करके उस मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे : परन्तु यह कि अभिकरण के उधार देने वाले और अनुशासनिक प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में अभिकरण के कर्मचारी की सेवाएं पुनः अभिकरण व्ययनाधीन कर दी जाएंगी ;

(i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 8 के खंड (v) से लेकर खंड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उसकी सेवाएं अभिकरण पुनः व्ययनाधीन कर देगा और जांच की कार्यवाहियां उसको पारेषित कर देगा और तदुपरि अभिकरण का अनुशासनिक प्राधिकारी उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु कोई ऐसा आदेश पारित करने के पहले अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 12 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण—अनुशासनिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसको पारेषित जांच के अभिलेख पर या अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, इस खंड के अधीन आदेश कर सकता है

18. (1) जहां कि अभिकरण के कर्मचारी के विरुद्ध जिसकी सेवाएं केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई हों, निलम्बन का आदेश किया जाता है या अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो उसकी सेवाओं को उधार देने वाले प्राधिकारी (जिसे इस नियम में उसके पश्चात् 'उधार देने वाला प्राधिकारी' कहा गया है) को तुरन्त ही उन परिस्थितियों की इत्तिला, जिसके कारण यथास्थिति उसके निलम्बन का आदेश या अनुशासनिक कार्यवाही का प्रारम्भ हुआ है दी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों के प्रकाश में—

(i) यदि अभिकरण के अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 8 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह नियम 12 के उप-नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और गुप्तवार्ता ब्यूरो में सेवा करने वाले सहायक केन्द्रीय गुप्तवार्ता आफिसर तक की पंक्ति तक के सरकारी कर्मचारी के सिवाय उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् उस मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु अभिकरण के अनुशासनिक प्राधिकारी तथा उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने पर ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को व्यवर्तित कर दी जाएंगी ।

(ii) बाद अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 8 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के पुनः व्ययनाधीन कर देगा और जांच की कार्यवाहियों को उसके पास ऐसी कार्रवाई के लिए जैसी वह आवश्यक समझे पारेषित करेगा।

भाग VII—अपील

19. इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी —

(i) उन पदों के सिवाय जिनके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 2000 रु० से अधिक है और जिन के मामले में अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी परिषद् द्वारा अन्य पदों के लिए किया गया कोई आदेश ;

(ii) निलम्बन के आदेश से भिन्न आन्तर्वर्ती प्रकृति या सहायक कदम की प्रकृति या आनुशासनिक कार्यवाही के अन्तिम निपटान का कोई आदेश ;

(iii) नियम 11 के अधीन जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश।

20. नियम 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभिकरण का कर्मचारी, निम्नलिखित आदेशों में से किसी या सभी के विरुद्ध अपील कर सकता है, अर्थात् :—

(i) नियम 6 के अधीन जारी किया गया मामला समझा गया निलम्बन का आदेश ।

(ii) नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाला आदेश, वह आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाए ।

(iii) नियम 8 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति में वृद्धि करने वाला आदेश ।

(iv) कोई आदेश जो—

(क) नियमों या करारों द्वारा यथा विनियमित उसके वेतन, भत्ते या सेवा की अन्य शर्तों से वंचित करता है या उन्हें उसके लिए अहितकर रूप में परिवर्तित कर देता है; या

(ख) किसी ऐसे नियम या करार मामले का उसके लिए अहितकर रूप में निर्वचन।

(v) कोई आदेश जो—

(क) काल वेतनमान में दक्षता रोध पर उसे इस आधार पर रोक देता है कि वह रोध को पार करने के अयोग्य है;

(ख) उसे तब, जब कि वह उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, निम्नतर सेवा, श्रेणी या पद पर शास्ति से अन्यथा रूप में प्रतिवर्तित करता है;

(ग) निलम्बन की कालावधि के लिए या उस कालावधि के लिए, जिसके दौरान उसे निलम्बनाधीन समझा जाता है या उसके किसी भाग के लिए उसे दिए जाने वाले जीवन-निर्वाह और अन्य भत्ते अवधारित करता है ;

(घ) (i) निलम्बन की कालावधि ; या

(ii) सेवा से उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति की तारीख से या निम्नतर श्रेणी, पद, काल-मान या काल-वेतन मान के निम्नतर क्रम पर उसकी अवनति की तारीख से उसकी श्रेणी या पद पर उसके यथापूर्वकरण या पुनःस्थापन की तारीख तक की कालावधि के लिए उसके वेतन और भत्तों का अवधारित करता है; या

(ङ) यह अवधारित करता है कि उसके निलम्बन की तारीख से या उसकी पदच्युति हटाए जाने, अनिवार्यतः सेवा-निवृत्ति किए जाने या निम्नतर श्रेणी, पद या काल-मान या काल-वेतनमान के निम्नतर

प्रक्रम अवनत किए जाने की तारीख से उसकी सेवा, श्रेणी या पद पर उसके यथापूर्वकरण या पुनः स्थापन की तारीख तक की कालावधि किसी भी प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई कालावधि के रूप में समझी जाएगी या नहीं।

स्पष्टीकरण.—इस नियम में—

(i) अभिकरण के कर्मचारी पद में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अभिकरण की सेवा में नहीं रह गया है;

21. (1) अभिकरण का कर्मचारी, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अभिकरण की सेवा में नहीं रह गया है, नियम 20 में विनिर्दिष्ट आदेशों में से किसी या सभी के विरुद्ध अपील, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) नियम 15 के अधीन की गई सामान्य कार्यवाही के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जा सकेगी जिसका अव्यवहित अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां कि वह व्यक्ति जिसने अपीलित आदेश किया है अपनी पार्श्विक नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा ऐसे आदेश की बाबत प्राधिकारी हो जाता है वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके ऐसा व्यक्ति अव्यवहित अधीनस्थ है;

(3) अभिकरण का कर्मचारी नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को करेगा सिवाय ऐसे पदों के लिए उसका वेतन या वेतनमान 2000 रु० से अधिक है। जिस मामले में अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी, जहां उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन उस अपील नहीं होती है, यदि ऐसी शास्ति अभिकरण के ऐसे कर्मचारी पर संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य माध्यस्थम स्कीम में भाग लेने वाले किसी संगम, परिसंघ या संघ पदाधिकारी के रूप में उसके कार्य से सम्बद्ध उसके कार्यकलापों की बाबत अध्यक्ष से निम्न प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है।

22. इस भाग के अधीन की गई कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से पैंतालीस दिन की कालावधि के अन्दर नहीं की जाती है जिस तारीख को अपीलार्थी को उस आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, परिदत्त की गई है:

परन्तु जब अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि समय के अन्दर अपील करने के लिए पर्याप्त हेतुक अपीलार्थी के पास था, तब वह उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है।

23. (1) अपील करने वाला हर व्यक्ति अपील पृथकतः और अपने स्वयं के नाम से करेगा।

(2) अपील उस प्राधिकारी के सामने उपस्थापित की जाएगी, जिसकी अपील होती है और एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जिससे वह अपीलित आदेश किया था। उसमें ये सभी तात्त्विक कथन और तर्क अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है। उसमें कोई निरावरणपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी और वह स्वतः पूर्ण होगी।

(3) वह प्राधिकारी जिससे वह अपीलित आदेश किया था, उस अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसको उस पर अपनी टीका-टिप्पणियों सहित और उसके साथ सुसंगत अभिलेख किसी परिहार्य विलम्ब के बिना और अपील प्राधिकारी से किसी निदेश के लिए प्रतीक्षा किए बिना अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

24. (1) विलम्ब के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी इस पर विचार करेगा कि नियम 6 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विलम्ब का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश को पुष्ट या प्रतिसंहृत करेगा।

(2) नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले या उक्त नियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को वर्धित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि :—

(क) क्या इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं तो क्या ऐसे अननुपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण या न्याय की निष्फलता हुई है।

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष उस साक्ष्य द्वारा समर्थित है? जो अभिलेख पर है; और

(ग) क्या वह शास्ति या वर्णित शास्ति जो अधिरोपित की गई है यथायोग्य अयथायोग्य या कठोर है; और

(i) शास्ति को पुष्ट, वर्धित, कम या अपास्त करने वाले; या

(ii) जिस प्राधिकारी ने शास्ति को अधिरोपित या वर्धित किया है उसको या किसी अन्य प्राधिकारी को वह मामला ऐसे निदेशों के साथ;

जैसे वह उस मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे प्रेषित करने वाले आदेश पारित करेगा;

परन्तु:—

(i) यदि वह वर्धित शास्ति जिसको अधिरोपित करने की प्रस्थापना अपील प्राधिकारी करता है नियम 8 के खंड (v) से लेकर खंड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और उस मामले में नियम 11 के अधीन जांच पहले से नहीं की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी जांच स्वयं करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 11 के उपबंधों के अनुसार की जाए और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करके और अपीलार्थी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर नियम 12 के उपनियम (4) के उपबंधों के यथातथ्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे;

(ii) यदि वह वर्णित शास्ति जिसको अधिरोपित करने की प्रस्थापना अपील प्राधिकारी करता है नियम 8 के खंड (v) से लेकर खंड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और उस मामले में नियम 11 के अधीन जांच पहले से की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर नियम 12 के उपनियम (4) के उपबंधों के यथातथ्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे; और

(iii) वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश किसी अन्य मामले में नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को ऐसा वर्धित शास्ति के विरुद्ध नियम 13 के उपबंधों के

यावत्शक्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(3) नियम 20 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में अपील प्राधिकारी मामले की इन परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जैसे वह यथासंभव और सामयापूर्ण समझे ।

25. वह प्राधिकारी, जिसने अपीलित आदेश किया या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को प्रभावी करेगा ।

भाग-8 पुनर्विलोकन

26. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी परिषद स्वप्रेरणा पर या अन्यथा मामले के अभिलेखों को मांगने के पश्चात् किसी भी ऐसे आदेश का जो इन नियमों के अधीन किया गया है या जिससे अपील अनुज्ञात है पुनर्विलोकन कर सकती है; और:—

(क) आदेश को पुष्ट उपान्तरित या अपास्त कर सकती है ;

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, वर्धित या अपास्त कर सकती है ;

(ग) उस मामले के उस प्राधिकारी को जिसने यह आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कर सकती है कि स्वयं पर ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई की जाए जैसी यह उस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती है, जैसे यह ठीक समझे ;

परन्तु यह कि :—

(i) शास्ति के अधिरोपित या वर्धित करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को ऐसा अभ्यावेदन जैसा कि यह प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध करना चाहता है का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो ।

(ii) ऐसे मामले में, जिसमें नियम II के अधीन जांच नहीं की गई है, यदि परिषद नियम 8 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने की प्रस्थापना करती है तो वह नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्देश देगी कि ऐसी जांच की जाए और उसके पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार कर के तथा संबंधित व्यक्ति को ऐसे अभ्यावेदन जैसा कि यह अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध करना चाहता है, करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकती है जैसे वह उचित समझे ;

(iii) ऐसे पद के लिए जिनके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 2000 रु० से अधिक है ऐसे किसी आदेश का जो इन नियमों के अधीन किया गया या अपीलीय है पुनर्विलोकन करने वाला प्राधिकारी सरकार होगी ।

27. प्राधिकारी जिसे नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, स्वप्रेरणा पर या अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही के मामले के अभिलेख मंगा सकता है ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसे वह उचित समझे, भावों अभिकरण के कर्मचारियों ने ही ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की हो ।

परन्तु यह कि पुनर्विलोकन किए जाने वाले आदेश की तारीख से छह मास से अधिक के पश्चात् इन नियमों के अधीन कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी ।

28. इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया प्रत्येक आदेश सूचना तथा अन्य आदेशिका की तामील संबंधित अभिकरण के कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से की जाएगी या उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा संसूचित की जाएगी ।

29. इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय किसी आदेश के जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी समुचित एवं पर्याप्त कारणों से या यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए गए हों इन नियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित किसी भी बात के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है या किसी विलम्ब को माफ कर सकता है ।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपीली प्राधिकारी शास्तियां जो वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 8 में मद संख्याओं के संदर्भ में)		
			प्राधिकारी	शास्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी पद	निदेशक	निदेशक अपर निदेशक	समस्त	अध्यक्ष निदेशक
				उप मुख्य कार्यपालक के रैंक तक (i) से (iv)	
			अभिकरण कार्यालयों के प्रभारी संयुक्त निदेशक/ उप-मुख्य कार्यपालक	सहायक निदेशक के रैंक तक (i) से (iv)	अपर निदेशक

[सं० 3(11)/76 ई० आई० एण्ड ई० पी०]

सी० बी० कुकरेती, उप निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 7th January, 1978

S.O. 43.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1953 (22 of 1953) the Central Government hereby makes the following rules namely :

PART I—GENERAL

A. Short title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

B. Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Council" means the Export Inspection Council.

(b) "Agency" means the Export Inspection Agency referred to in under sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

(c) "Appointing Authority" in relation to a Agency employee means :

(i) The Authority empowered to make appointment to the post which the Agency employee for the time being holds ; or

(ii) The authority which appointed the Agency employee to such grade or post as the case may be, whichever authority is the highest authority.

(d) "Agency employee' means a person who is an employee of the Agency and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government, a local or other authority ;

(ii) any employee who is in the service of the Central Government, State Government, a local or other authority and whose service are temporarily placed at the disposal of the Agency.

(e) "Group" means any of the groups specified in rule 5;

(f) "Head of the Department" for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority means the Director of Inspection and Quality Control ;

(g) "Head of the Office" for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority means the authority declared to be the Head of the Office by the Chairman ;

(h) "Chairman" means the Chairman of the Council ;

(i) "Director" means the Director of Inspection & Quality Control and ex-officio Member-Secretary of the Council ;

(j) "Additional Director" means Additional Director of the Council ;

(k) "Joint Director" means Joint Director of the Council ;

(l) "Deputy Chief Executive" means the Deputy Chief Executive of the Agency ;

(m) "Disciplinary authority" means the authority competent under these rules to impose on an Agency employee any of the Penalties specified in rule 8 ;

(n) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.

C. Application

3. Subject to the provisions of rule 18, these rules shall apply to every Agency employee.

D. Interpretation

4. If any doubt arises with regard to the meaning of any of these rules, the matter be referred to the Council which shall decide the same.

PART II—CLASSIFICATION

5. For the purpose of these rules the Agency employees shall be classified into the following four Groups, namely :—

Group A.—A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 1,300.

Group B.—A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 900 but less than Rs. 1,300.

Group C.—A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 290.00 but less than Rs. 900.

Group D.—A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of which is Rs. 290 or less.

PART III—SUSPENSION

6. (1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the Chairman or the Director by general or special order, may place an Agency employee under suspension.

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or

(b) Where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State, or

(c) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, enquiry or trial.

(2) An Agency employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing Authority :

(a) With effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding fortyeight hours;

(b) With effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding fortyeight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.—The period of fortyeight hours referred to in Clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from services imposed upon an Agency employee under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an Agency employee is set aside or declared or rendered void in consequence or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Agency employee shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority, from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so ;

(b) Where an Agency employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any

disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceedings is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Agency employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings;

(c) an order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

PART IV—CONDUCT

7. The Agency employee shall be governed by the Central Civil Services (conduct) Rules, 1964 of the Government of India as amended from time to time.

PART V—PENALTIES & DISCIPLINARY AUTHORITIES

8. The following penalties may, for good and sufficient reasons as hereinafter provided, be imposed on an Agency employee namely :—

(i) Censure;

(ii) Withholding of his promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Agency by negligence or breach of order;

(iv) Withholding of increments of pay;

(v) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Agency employee will earn increment of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or, will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vi) reduction to a lower time scale of pay, grade, post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Agency employee to the time scale of pay, grade, post from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of the restoration to that grade or post from which the Agency employee was reduced and the seniority and pay on such restoration to that grade, post;

(vii) compulsory retirement;

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Agency; and

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Agency.

Explanation.—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule namely :—

(i) withholding of increments of pay of an Agency employee for failure to pass any departmental examination in accordance with rules or orders governing the post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) stoppage of an Agency employee at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) non-promotion whether in a substantive or officiating capacity of an Agency employee after consideration of his case to a grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion to a lower service, grade or post of an Agency employee officiating in a higher grade or post on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct;

(v) reversion to his permanent service, grade or post of an Agency employee appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing probation;

(vi) compulsory retirement of an Agency employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;

(vii) termination of the services—

(a) of an Agency employee appointed on probation during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or

(b) of a temporary Agency employee in accordance with the rule 16 of the Export Inspection Agency Service Rules; or

(c) of an Agency employee under an agreement in accordance with the terms of such agreement.

10. (1) The Chairman or any other authority empowered by him by general or special order may—

(a) Institute disciplinary proceedings against any Agency employee;

(b) Direct a Disciplinary Authority to Institute disciplinary proceedings against any Agency employee on whom that Disciplinary Authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in rule 8.

(2) A Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 may institute disciplinary proceedings against any Agency employee for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties.

(viii) replacement of the service of the Agency employee whose services had been borrowed from a Central Government, State Government or a local or other authority from which the services of such Agency employee had been borrowed.

"NOTE.—The Agency or its subordinate authorities described under Rule 9 are competent for imposing penalties within the meaning of Rule 8 on an employee of the Agency in respect of misconduct committed before his employment, if the misconduct was of such a nature as has rational connection with his present employment in the Agency and renders him unfit and unsuitable for continuing service".

DISCIPLINARY AUTHORITIES

9. (1) The Chairman may impose any of the penalties specified in Rule 8 on a Council employee.

(2) Without prejudice to the provision of sub-rule (1), any of the penalties specified in Rule 8 may be imposed on the Council employee by the authorities specified in the schedule, annexed hereto.

PART VI—PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

11. (1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and in the manner hereinafter provided.

(2) Whenever the disciplinary authority is of opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against Agency employee, it may itself inquire or appoint under this rule an authority to inquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against an Agency employee under this rule and in the manner hereinafter provided, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up—

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge; which shall contain—

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Agency employee;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the Agency employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the Agency employee to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the Agency employee in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner hereinafter provided.

(b) If no written statement of defence is submitted by the Agency employee, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any articles of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a Council employee or any employee working under the administrative and technical control of the Council or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority—

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the Agency employee;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any referred to in sub-rule (3);

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the Agency employee; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer".

(7) The Agency employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in writing, specify in this behalf, or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow.

(8) The Agency employee may take the assistance of any other Agency employee or any employee working under the administrative and technical control of the Council at the present case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits.

(9) If the Agency employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Agency employee thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilty in respect of those articles of charge to which the Agency employee pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the Agency employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a latter date not exceeding thirty days, after recording an order that the Agency employee may, for the purpose of preparing his defence :

(i) Inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

NOTE : If the Agency employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in the possession of Agency but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

NOTE : The Agency employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Agency.

(12) The inquiring authority shall, or receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward, the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition;

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12) every authority having the custody of possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority;

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the Agency's interest or public interest or security of the state, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall on being so informed, communicaste the information to the Agency employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the Agency employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witness on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Agency employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the Agency employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced

and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the Agency employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the Agency employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

NOTE : New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed the Agency employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the Agency employee shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the Agency employee shall then be produced. The Agency employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the Agency employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the Agency employee closes his case, and shall, if the Agency employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the Agency employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed and the Agency employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the Agency employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.

(21) (a) Where a disciplinary authority compentent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8, has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on the Agency employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalities.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the records or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the Agency employee such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiry authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry, ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeded by another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself :

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour ;

(b) the defence of the Agency employee in respect of each article of charge ;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge ;

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation : If in the opinion of the inquiry authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge.

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the Agency employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—

(a) the report prepared by it under clause (i) ;

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the Agency employee;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry ;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the Agency employee or both during the course of the inquiry;

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiry authority in regard to the inquiry.

12. (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule (11) as far as may be applicable.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to it findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 should be imposed on the Agency employee, it shall, notwithstanding anything contained in rule 13, make an order imposing such penalty.

(4) (i) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on the Agency employee, it shall—

(a) furnish to the Agency employee a copy of the report of the inquiry held by it and its findings on each article of charge, or, where the inquiry has been held by an inquiring authority, appointed by it, a copy of the report of such authority, and a statement of its findings on each article of charge together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority ;

(b) give the Agency employee a notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within fifteen days of receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days, as may be allowed, such representation as he may with to make on the

proposed penalty on the basis of the evidence adduced during the inquiry held under rule 11.

(ii) The disciplinary authority shall consider the representation, if any, make by the Agency employee in pursuance of the notice given to him under clause (i) and determined what penalty if any should be imposed on him and make such order as it may deem fit.

13. (1) Subject to the provisions to sub-rule (3) of rule 12, no order imposing on a Agency employee any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 shall be made except after—

(a) informing the Agency employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal ;

(b) holding an inquiring in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 11 in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary ;

(c) taking the representation if any submitted by the Agency employee under clause (a) and the record of inquiry, if any held under clause (b) into consideration; and

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

(2) The record of the proceedings in such cases shall include—

(i) a copy of the intimation to the Agency employee of the proposal to take action against him ;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or disbehaviour delivered to him;

(iii) his representation, if any ;

(iv) the evidence produced during the inquiry ;

(v) the findings on each intimation of misconduct or misbehaviour; and

(vi) the orders on the case together with the reasons therefor.

14. Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the Agency employee who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority (unless they have already been supplied to him).

15. (1) Where the two or more Agency employees are concerned in any case, any authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Agency employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceedings.

Note : If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Agency employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Any such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding;

(ii) the penalties specified in rule 8 which such disciplinary authority shall be competent to impose ;

(iii) whether the procedure laid down in rule 11 and rule 12 or rule 13 shall be followed in the proceeding.

16. Notwithstanding anything contained in rules 11 to 15—

(i) where a penalty is imposed on an Agency employee on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(ii) where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said rules, the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and pass such orders thereon as it deems fit.

17. (1) Where the service of an Agency employee are lent to a Central, State Government or an authority subordinate thereto or to a local or other authority (hereinafter in this rule referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the Appointing Authority for the purpose of placing him under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of taking a disciplinary proceeding against him ;

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent his services (hereinafter in this rule referred to as "the lending Authority" of the circumstances leading to the order of his suspension on the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the finding in the disciplinary proceeding taken against the Agency employee—

(i) if the borrowing authority is of opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8, should be imposed on him, it may, after consultation with the Disciplinary Authority of the Agency pass such orders on the case as it deems necessary.

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the Disciplinary Authority of the Agency the Services of the Agency employees shall be replaced at the disposal of the Agency—

(ii) if the borrowing authority is of opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the Agency and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the Disciplinary Authority of the Agency may pass such orders thereon as it deems necessary.

Provided that in passing any such order the Disciplinary Authority shall comply with the provisions of sub-rule (3) and (4) of rule 12.

Explanation—The Disciplinary Authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary.

18. (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is taken against an Agency employee (whose services have been borrowed from a Central, State Government or a local or other authority) the authority lending his services (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the employee referred to in sub-rule (1),—

(i) If the Disciplinary Authority of the Agency is of opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 should be imposed on him, it may subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12 and except in regard to a Government servant serving in the Intelligence Bureau upto the rank of Assistant Central Intelligence Officer after consultation with the leading authority, pass such orders on the case as it deems necessary ;

Provided that in the event of a difference of opinion between the Disciplinary Authority of the Agency and the lending authority the services of such employee shall be replaced at the disposal of the lending authority.

(ii) If the Disciplinary Authority is of opinion that any of the penalities specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on him it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary.

PART VII—APPEALS

(19) Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lie against :—

(i) any order made by the Council except for the posts carrying pay or scale of pay maximum of which exceeds Rs. 2,000 in which case the appeal shall be made to the Central Govt.;

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 11.

20. Subject to the provisions of rule 19, an Agency employee may prefer an appeal against all or any of the following orders namely :—

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under rule 6;

(ii) an order imposing any of the penalties specified in rule 8 where made by the disciplinary authority ;

(iii) an order enhancing any penalty, imposed under rule 8.

(iv) an order which—

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances or other conditions of service as regulated by rules or by agreement ;

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement ;

(c) an order—

(a) stopping him at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar ;

(b) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, otherwise than as a penalty ;

(c) determining the subsistance and other allowance to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof ;

(d) determining his pay and allowances—

(i) for the period of suspension, or

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a time scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration of his grade or post, or

(e) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower grade, post, time scale of pay or stage in a time scale of pay to the date of his re-instatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation—in this rule—

(i) the expression 'Agency employee' includes a person who has ceased to be in Agency service.

21. (1) An Agency employee, including a person who has ceased to be in Agency Service, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in rule 20 to the authority specified in the schedule.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),

(i) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 15 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate ;

(ii) Where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

(3) An Agency employee may prefer an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 8 to the Chairman, except for the posts carrying pay or scale of pay maximum of which exceeds Rs. 2000/-in which case the appeal shall be made to the Central Government, where no such appeal lies to him under sub-rule (1) or sub-rule (2), if such penalty is imposed by any authority other than the Chairman on such Agency employee in respect of his activities connected with his work as an office bearer of an association, federation or union participating in the Joint Consultation and Compulsory arbitration Scheme.

22. No appeal preferred under this part shall be entertained unless it is submitted within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

23. (1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall on a receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority.

24. (1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of rule 6 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 8 or enhancing any penalty imposed under the said rule, the appellate authority shall consider—

(a) Whether the procedure laid down in these rules has been complied with and if not, whether such non compliance has resulted in the failure of justice ;

(b) Whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record ; and

(c) Whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe ;

and pass orders

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty ; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case ;

Provided that—

(i) If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 and an inquiry under rule 11 has not already been held in the case, the appellate authority shall,subject to the provisions of rule 16, itself held such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 11 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 12 of making a representation against the penalty proposed

on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit;

(ii) If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 and an inquiry under rule 11 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity as far as many be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 12, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the inquiry, make such orders as it may deem fit; and

(iii) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of rule 13, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) In an appeal against any other order specified in rule 20 the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

25. The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

PART VIII—REVIEW

26. Notwithstanding anything contained in these rules, the Council may on its own motion or otherwise, after calling for the records of the case, review any order which is made or is appealable under these rules; and

(a) confirm, modify or set aside, the order;

(b) impose any penalty or set aside, reduce confirm or enhance the penalty imposed by the order;

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such further action on enquiry as it considers proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it deems fit;

Provided that—

(i) an order imposing or enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of making any representation which he may wish to make against the penalty proposed.

(ii) If the Council proposes to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 in a case where an inquiry under rule 11 has not been held, it shall, subject to the provisions of rule 16, direct that such inquiry be held and thereafter on consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the person concerned an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty, pass such orders as it may deem fit.

(iii) For the posts carrying pay or scale of pay maximum of which exceeds Rs. 2000-, the authority to review any order which is made or is appealable under these rules shall be the Central Government.

27. The authority to which an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 8 lies may, on its own motion or otherwise, call for the records of the case in a disciplinary proceeding review any order passed in such a case and pass such orders as it deems fit, as if the Agency employee had preferred an appeal against such order.

Provided that no action under this rule shall be initiated more than six months after the date of the order to be reviewed.

28. Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be served in person on the Agency employee concerned or communicated to him by registered post.

29. Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

SCHEDULE

EXPORT INSPECTION AGENCY

Sl. No.	Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 8)		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	All posts upto the rank of Joint Director	Director	Director	All	Chairman
			Addl. Director	(i) to (iv) upto the rank of Deputy Chief Executive	Director
			Joint Director Dy. Chief Executive In-charge of Agency offices	(i) to (iv) upto the rank of Asstt. Director	Addl. Director

[No. 3/(11)/76-E I & EP]

C.B. KUKRETI, Deputy Director

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1977

का० आ० 44.—का० आ० संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक के चित्तूर-कोचीन टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-2-78 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-12/77 पीएचबी]

के० बी० मुदगल, सहायक महानिदेशक (पी एच बी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 27th December, 1977

S.O. 44.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-2-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Chittoor-Cochin Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-12/77-PHB]

K. B. MUDGAL, Asstt. Director General (PHB)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978